



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-Section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 325 ]  
No. 325]नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 1996/आश्विन 16, 1918  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 1996/ASHVINA 16, 1918

स्वास्थ्य और धरिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1996

सा.का.नि. 460(अ).—प्रष्टपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 का अधिक्रमण करते हुए सम्प्रिलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और अर्थ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1996 है।

(2) ये शास्त्रमें प्रकाशन की तारीख को प्रचुर होंगे।

2. परिभाषा—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अधिकृत न हों :—

(क) (क) "आयोग" से संबंधित सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ग) "विभागीय प्रोनान्ति समिति" से सेवा के समूह "क" पदों पर प्रोनान्ति या पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट समूह "क" विभागीय प्रोनान्ति समिति अभिप्रेत है;

(घ) "डम्पटी पद" से अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट कोई पद, जहाँ वह स्थायी हो या अस्थायी, अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) "श्रेणी" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है;

(छ) "लोक स्वास्थ्य अहंता" से समय-समय पर यातांशोधित भारतीय अनुसूची विनिर्दिष्ट भान्यताप्राप्त लोक स्वास्थ्य अहंता अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से हन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है;

(ज) "डम्प-काढ़ार" से सेवा की तारीख धाराओं में से अर्थात् यथास्थिति साधारण डम्पटी, लोक स्वास्थ्य, अध्यापनेतर विशेषज्ञ और अध्यापन विशेषज्ञ में से कोई अभिप्रेत है;

3. सेवा का गठन—

सेवा में सम्प्रिलित सभी डम्पटी पद, केन्द्रीय विविल सेवा समूह "क" पदों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे और उनसे संबंधित श्रेणियाँ, वेतनमान, प्रेक्षिट बंदी भत्ता और अन्य विवरण अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. सेवा की प्राधिकृत सदस्य संख्या :—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्प्रिलित डम्पटी पदों की प्राधिकृत सदस्य संख्या अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों में डम्पटी पदों की प्राधिकृत स्थायी सदस्य संख्या वह होगी जो समय-समय पर सरकार हारा अवधारित की जाए।

(3) सरकार, विभिन्न श्रेणियों में डम्पटी पदों की सदस्य संख्या में समय-समय पर, जैसा आवश्यक समझा जाए, अस्थायी परिवर्धन कर सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

(4) सरकार, आयोग से परामर्श करके, अनुसूची 2 में सम्प्रिलित पदों से भिन्न कोई यद सम्प्रिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्प्रिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(5) सरकार, आयोग से प्रामाण्य करके किसी अधिकारी को, जिसका यदि हसनियम के उप-नियम (4) के अधीन सेवा में सम्पत्ति है, सेवा की समुचित श्रेणी में अस्थायी हैंसियत से या अधिस्थायी हैंसियत से जैसा टीक समझा जाए नियुक्त करेगी और श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता वो सदृश श्रेणी में लागतार नियमित सेवा की ध्यान में रखते हुए नियत करेगी।

(6) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कुल पदों की तारीख का पांच प्रतिशत सेवा में “प्रशिक्षण भारतीयी” के रूप में सम्पादित किया जाएगा।

#### (7) अकृत्यसील अथवा श्रेणी :—

(1) साधारण डूबूटी उप-काडर में ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, (3000-4500 रु.) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (3700-5000 रु.) की श्रेणी के 15% ज्येष्ठ डूबूटी उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यसील अथवा श्रेणी) (4500-5700 रु.) के पदों में संपरिवर्तित किए जाएंगे।

**टिप्पणी :** इस उपनियम के ब्रोजनार्थ ज्येष्ठ डूबूटी पद से अभिष्रेत है व्यक्तियों की वह साक्षा जो ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं तथा साधारण डूबूटी चिकित्सा अधिकारी उप-काडर में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों की रखता।

(8)(i) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के प्रावधान उप-काडर के लिए उपनियम के प्रावधान पद पर प्रोन्नति, विशेषज्ञ (श्रेणी-1)/प्राचार्य की सामान्य पात्रता सूची के आधार पर की जाएगी जो कि अध्यायन विशेषज्ञ उप-काडर और अध्यायप्रेतर विशेषज्ञ उप-काडर के लिए पृथक-पृथक बनाई जाएगी जिनमें इन उप-काडरों के सभी अधिकारी, विशेषज्ञाओं पर ध्यान दिए बिना, सम्बिलित होंगे। उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी चारों उप-काडरों के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारियों की सम्मिलित पात्रता सूची के आधार पर की जाएगी।

(ii) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट सामान्य पात्रता सूची, अधिकारी द्वारा अपनी श्रेणी में, विहित अहंक वर्षों की सेवा की पूर्णता की तारीखों के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।

परन्तु एक ही तारीख को नियुक्त किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से अवधारित की जाएगी :—

(क) यदि पात्र अधिकारियों पर एक ही विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार लिया जा रहा हो तो ज्येष्ठता, योग्यताकाम पर आधारित होगी;

(ख) यदि कोई योग्यताकाम न हो तो ज्येष्ठता योग्यक श्रेणी में ज्येष्ठता पर अवधारित होगी;

(ग) यदि योग्यक श्रेणी में कोई ज्येष्ठता न हो या योग्यक श्रेणी में भी ज्येष्ठता अवधारित वर्षों संबंध न हो तो योग्यक श्रेणी में नियमित सेवाकाल, ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए निर्देशक कारक होंगा;

(घ) यदि योग्यक श्रेणी में सेवाकाल भी एक संशय हो तो उससे निचली नियमित श्रेणी में नियमित सेवा को यणना में लिया जाएगा जिसके न होने पर जन्म की तारीख को यणना में लिया जाएगा।

#### 5. सेवा के सदस्य

(1) नियमित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) नियम (4) के उपनियम (5) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(ख) नियम 6 के अधीन डूबूटी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(ग) नियम 7 के अधीन डूबूटी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर, अनुसूची 2 में उसकी लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 2 में उसकी लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

#### 6. सेवा का प्रारंभिक गठन

(1) इन नियमों के प्रारंभ पर आ उसके पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1982 के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और वे संबंधित व्यक्तियों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व उपनियम(1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की विधिवत सतत सेवा में परिवेक्षा, प्रोन्नति के लिए अहंक सेवा, पुष्टि और पेशन के प्रयोजनार्थ मिला जाएगा।

#### 7. सेवा का भावी अनुरक्षण

(1) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी में कोई रिक्त इन नियमों के अधीन इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त रीति से भरी जाएगी।

(2) भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के लिए चयन का लेन्ड्र, जिसके अंतर्गत, सेवा में सम्पत्ति संबंधित उप-काडरों में और संबंधित उप-काडर के भीतर विशेषज्ञताओं में पदों पर ध्यान दिए गए विधिवत विशेषज्ञता विद्वान् या प्रोन्नति के लिए ठीक निम्नतर व्यक्तियों में न्यूनतम अहंक सेवा भी सम्मिलित है, अनुसूची 3 में व्याख्यान अहंक सेवा भी सम्मिलित होंगे।

(3) (i) विभागीय प्रोन्नतियां व्याख्यान, संबंधित उप-काडरों के अधिकारियों तक सीमित होंगी।

(ii) संबंधित उप-काडरों में उच्चतर पदों के लिए विभागीय प्रोन्नतियां व्याख्यान, संबंधित उप-काडरों में अधिस्थित ठीक निम्नतर व्यक्तियों की सेवा के अधिकारियों में से व्याख्यान योग्यता पर चयन ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर, अनुसूची 4 में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारियों पर, की जाएगी।

(4) यदि सेवा में किसी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी पर उच्चतर पद पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ विचार किया जाता है तो, व्याख्यान, संबंधित उप-काडर या संबंधित विशेषज्ञता में उस व्यक्ति उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बर्ती कि उनकी अपेक्षित अहंक पात्रता सेवा में कमी एक वर्ष से अधिक न हो और यदि विहित की गई हो तो वे अपनी परिवेक्षा की अवधि पूरी कर चुके हों।

(5) (i) अवधान (ज्येष्ठता एवं व्याख्यान) के आधार पर सेवाकाल की नियुक्ति की छोड़कर सेवा के अनुरक्षण के लिए अधिकारियों का चयन आयोग के प्रामाण्य से और जहाँ कर्त्ता आवश्यक हो अनुसूची 4 में व्याख्यानिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।

(ii) (क) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में विभिन्न इशुटी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम सैक्षिक और अन्य अहंताएं, अनुभव और आवृत्तीया अनुसूची ६ में अधिकारित होगी।

(ख) अनुसूची ६ में विनियोग सुपर विशेषज्ञताओं के पदों, जिनके लिए न्यूनतम आवश्यक अहंता आवृत्तियां में डेक्टर (डी-एम) या मैट्रिस्टर चिरंगुई (एम.सी.एच.) या समतुल्य हैं, अध्यापन और अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपकाड़ी में, ३७००-५०००/- रु. के बेतनमान में सीधी भर्ती की जाएगी।

(iii) मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अहंताएं अनुसूची ६ में अधिकारित होंगी।

टिप्पण : (i) साधारण इशुटी विकित्सा अधिकारी उप-काडर में विकित्सा अधिकारी ज्येष्ठ विकित्सा अधिकारी और मुख्य विकित्सा अधिकारी का पद-अध्यापन उपकाडर में सहायक प्राचार्य, सहयुक्त प्राचार्य, प्राचार्य के पद और अध्यापनेतर तथा लोक स्थानस्थ उपकाडरों में विशेषज्ञ श्रेणी २ (कनिष्ठ बेतनमान), विशेषज्ञ श्रेणी २ (ज्येष्ठ बेतनमान) और विशेषज्ञ श्रेणी १ के पद प्रोफेसनलिटी के प्रयोजनार्थ अपने उप-काडरों में परस्पर आदान-प्रदानशील हैं।

(ii) ऊपर वर्णित श्रेणियों (प्रवेश श्रेणियों से भिन्न) पद प्रोफेसनलिटी रिक्तियों से अनुबंधित नहीं होंगी।

८. इशुटी पदों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा समिलित है) द्वारा भरा जाना:

(1) नियम ७ में किसी बात के होते हुए की, जहां सरकार की पह राय हो कि ऐसा करना अवश्यक या समीची है, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करते हुए और आवोग के परामर्श से वह साधारण इशुटी उप-काडर में विकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ विकित्सा अधिकारी और अध्यापनेतर विशेषज्ञ और उप-काडर और लोक स्थानस्थ उप-काडर में विशेषज्ञ श्रेणी II (कनिष्ठ बेतनमान) की श्रेणियों में केन्द्रीय सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय भी समिलित हैं) राज्य सरकारों/संघ एजेंसियों के अधीन सदृश पद भारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तथा कानूनी नियमों, स्वशासी नियमों, अर्थ-सरकारी संगठनों, विविचित्रालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन सदृश पद भारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से अल्पकालीन संविदा पर कुल बीस से अनुधिक इशुटी पद भर सकेंगी।

(2) प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो विशेष परिस्थितियों में जैसा सरकार उपयुक्त समझे पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

#### ९. ज्येष्ठता

(1) वयस्थिति, रोका के संबंधित उप-काडरों या उपकाडरों के संबंधित विशेषज्ञता में नियुक्ति किए गए सेवा के सदस्यों की संप्रेक्ष ज्येष्ठता

नियम ६ के अधीन सेवा के प्रारम्भिक गठन पर चर्ही होनी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख की थी:

परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनियोग रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो वह, सेवा के सदस्यों को इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व वया लागू ज्येष्ठता के नियतन को साझित करने वाले नियमों के आधार पर अध्यारित जाएगी।

(2) नियम ६ के अधीन जो नियुक्त किए गए हैं उनसे भिन्न अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण समय-समय पर इन विषय में सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) नियम ४ के उप नियम (५) के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता वहां उपर्युक्त रूप में अवधारित की जाएगी।

(4) ऐसे भागों में, जो उक्त उपर्युक्तों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ज्येष्ठता का अवधारण आवोग के परामर्श से सरकार द्वारा किया जाएगा।

#### १०. परिवीक्षा :

(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा सिवाय उन विकित्सा अधिकारियों के जो २२००-७५-२८००-द.रो.-१००-४००० रु. की श्रेणी में नियुक्त किए गए थे जिनकी परिवीक्षा जबाबदी वर्ष होगी।

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी, समय-समय पर इन संबंध से सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई विनियोग अरम्भिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् और साधारण तथा आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए कारणों सहित लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी घिस्तार की अवधि की समाप्ति पर अधिकारी को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाता है तो, सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार सेवा में उसकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि वयस्थिति परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी घिस्तार के दौरान सरकार की राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो वह उस अधिकारी को, वयस्थिति, सेवोन्युक्त कर सकेगा या उसे उप पद पर जो वह उस नियुक्ति से पूर्व धारण किए हुए आप्रत्यावर्त्त कर सकेगा।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी घिस्तार के दौरान अधिकारियों से सरकार द्वारा प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम पूरे किए जाने की और ऐसी परीक्षा और परीक्षण उसीरे ऊरने की (जिनके अंतर्गत हिन्दी परिवीक्षा भी हैं) जो वह परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा किए जाने की राह के रूप में ठीक समझे, अपेक्षा की जा सकेगी।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य व्यापकों का जहां तक संबंधित है, सेवा के सदस्य उन अनुदेशों या अनुदेशों से साझित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

#### ११. सेवा में नियुक्ति :

सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

## 12. सैन्यस्ती

सेवा में नियुक्त अधिकारी, भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होगे।

## 13. रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित घटों पर सेवा करने वाला दायी व्यक्ति :

सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो किसी रक्षा सेवा में या भारत रक्षा से संबंधित किसी पर भर चार वर्ष से अनुचूत यही अधिकारी को हित, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण भर रखाहै गई अधिकारी यदि कोई हो, भी है, सेवा करने का दायी होगा,

परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी से

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति या यह प्राप्त करने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथागृहीत सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(ख) पैंगलीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् यथागृहीत सेवा करने की सामान्यतया अपेक्षा नहीं की जाएगी।

## 14. प्राइवेट फैक्टिस का प्रतिबिहू होना :

(1) सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की जिसके अन्तर्गत परामर्श और प्रयोगशाला फैक्टिस भी है, प्राइवेट फैक्टिस की अनुज्ञा नहीं होगी।

(2) इथापि ऐसे व्यक्ति अनुसूची (1) में विविध दर्ते भर फैक्टिस बंदी भत्ते के हकदार होंगे।

## 15. ऐश्वन और सेवा व्यों अन्य अर्थ :

(1) सेवा में जोड़े गए घटों का यायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियम, 1972 के अधीन सेवा के सदस्यों को लागू होगा।

(2) सेवा के सरस्यों की सेवा शर्ते ऐसे विषयों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में स्थान स्व से उपलब्धित नहीं किया गया है, यथा—आवश्यक परिवर्तन सहित और सरकार द्वारा सेवा के संबंध में जारी किए गए किसी विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, वही होगी जो साधारणतया केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को लागू होती है।

## 16. निरहताएँ : यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्त का यात्रा नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार का यह समान्य हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अधीन अनुरुप है और ऐसा कानून के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

## 17. शिविल करने व्यों शक्ति :

जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा विवाह आवश्यक या सभीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखदाद करके सभी संघ स्वीकार सेवा आमोग से समर्पण करके, इन नियमों के किसी उपर्युक्त को किसी वर्ग या प्रावर्ग के व्यक्तियों की वाक्ता, आदेश द्वारा शिविल कर लेंगी।

## 18. आवृत्ति:

इन नियमों की कोई भी जात ऐसे अस्थाप, आयु संतान में छूट और अन्य रिचार्डों पर प्रभाव नहीं डालती, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में सभी समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित अनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य व्यक्तियों के अन्य दिलेव प्रकारों के लिए उपर्युक्त करना अपेक्षित है।

## 19. निवेदन :

यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका किनिष्ठवय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची—I

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में स्थिरित किए गए सभूत “क” पदों की श्रेणियाँ, बेतनमान और प्रैफिट्स बंदी भत्ता आदि

I.—श्रेणियाँ और बेतनमान

क्रम सं.	श्रेणी.	बेतनमान
1	2	3
1. (क) उच्चस्तर ग्रामाधिकारी श्रेणी		
(i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	8000/- रु.	
(ii) अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा/ सेवाओं और संगठनों/राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रधान	7300-100-7600 रु.	
(ख) सुप्रस्तावित श्रेणी		
अन्य पद	5200-200-6700 रु.	
2. विशेषज्ञ श्रेणी		
(क) विशेषज्ञ श्रेणी-I		
(i) अध्यापन	4500-150-5700 रु.	
(ii) अध्यापीचार	4500-150-5700 रु.	
(iii) लोक स्वास्थ्य	4500-150-5700 रु.	
(ख) विशेषज्ञ श्रेणी-II		
(i) अध्यापन:		
(क) सहायक अध्यापन	3700-125-4700-150-5000 रु.	
(ख) सहायक प्राचार्य	3000-100-3500-125-5000 रु.	
(ii) अध्यापनसेवा		
(क) विशेषज्ञ श्रेणी-III	3700-125-4700-150-5000 रु.	
(ज्येष्ठ बेतनमान)		
(ख) विशेषज्ञ श्रेणी-IV	3000-100-3500-125-5000 रु.	
(कनिष्ठ बेतनमान)		
(iii) लोक स्वास्थ्य		
(क) विशेषज्ञ श्रेणी-II	3700-125-4700-150-5000 रु.	
(ज्येष्ठ बेतनमान)		
(ख) विशेषज्ञ श्रेणी-II	3000-100-3500-125-5000 रु.	
(कनिष्ठ बेतनमान)		
3. विशेषज्ञ अधिकारी श्रेणी		
(i) मुख्य विशेषज्ञ अधिकारी		
(अकृत्यासाल छहवें श्रेणी)	4500-150-5700 रु.	

1	2	3
(ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी 3700-125-4700-150-		
	5000 रु.	
(iii) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी 3000-100-3500-125-		
	4500 रु.	
(iv) चिकित्सा अधिकारी 2200-75-2800-इ.रो.-		
	100-4000 रु.	
III.—प्रैक्टिस बन्दी भते की दरें		
बेतन रेज	प्रैक्टिस बन्दी भते की दरें	
2200/- रु. और 2999/- रु. के बीच	600/- रु. प्रति मास	
3000/- रु. और 3699/- रु. के बीच	850/- रु. प्रति मास	
3700/- रु. और 5999/- रु. के बीच	950/- रु. प्रति मास	
6000/- रु. और उससे ऊपर	1000/- रु. प्रति मास	

## III.—स्नातकोत्तर भत्ता

चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृतशील अथवा श्रेणी) भी सम्मिलित है के पद पर नियुक्त किए गए ऐसे चिकित्सा स्नातक को, जिसके लिए भान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर आहता आवश्यक नहीं है, इन नियमों की अनुसूची 6 में चा भारतीय आयुर्विज्ञान भरिष्ट अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में विविरित क्रमशः भान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि रखने के लिए सुरक्षात् वेतनमान में ग्राह्य वेतन के अलावा यथास्थिति सौ रुपए प्रतिमास या दो सौ रुपए प्रतिमास का स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाएगा। ऐसे अधिकारी को जो भान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा और उपाधि दोनों रखता है केवल दो सौ रुपए प्रतिमास की दर पर भत्ता संदेश होगा।

## अनुसूची-2

## केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की प्राधिकृत संस्था

## इयूटी यूर

## उच्चतर प्रशिक्षणीय श्रेणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	पदों की संख्या
1	2	3
स्वास्थ्य और भरिवार कल्याण संसाधन		
1. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	01	
2. अबर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा/संस्थानों और संगठनों/राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रधान	12	
3. सुधरणाई श्रेणी		
अन्य पद (5900-200-6700/- रु.):		
(i) अध्यापक विशेषज्ञ उप काउंसिल प्रबन्ध पद		
(निदेशक-प्राचार्य/संकाध्यक्ष/निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/अपर चिकित्सा अधीक्षक)	74	
(ii) अध्यापकोत्तर विशेषज्ञ उप काउंसिल प्रबन्ध पद		
(प्राचार्य/निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/अपर चिकित्सा अधीक्षक)	88	

## (III) लोक स्वास्थ्य उप काउंसिल

क्र. सं.	पदाधिकारी	पदों की संख्या
1	2	3
1.	उपाध्यक्ष (मत्तृ एवं शिशु स्वास्थ्य), परिवार कल्याण विभाग	01
2.	निदेशक, राष्ट्रीय मर्मांत्रिक उपचूलन कार्यक्रम, दिल्ली	01
3.	निदेशक, केन्द्रीय कुच्छ प्रशिक्षण संस्थान, चिंगल पट्टू (तमिलनाडु)	01
4.	निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	01
5.	उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (कुच्छ)	01
6.	उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (ड. आ.)	01
7.	अपर निदेशक, (सी. एक.) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	01
8.	अपर निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय एड्स निवंत्रण संगठन	01
	कुल	08

## (iv) साथरण ड्यूटी उप काउंसिल

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	उपाध्यक्ष, परिवार कल्याण	02
2.	उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा (ग्रामीण स्वास्थ्य प्रभाग)	01
3.	उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (जोगना)	01
4.	निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	01
5.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	01
6.	उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (फल. एन. ई.)	01

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशकलय (मुख्यालय)	
अपर उप महानिदेशक (गी)	01
अपर उप महानिदेशक (अब.एब.एम.)	01
अपर उप महानिदेशक (एन.सी.डी.)	01
अपर उप महानिदेशक (एम.)	01
अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम)	01
निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य आस्थना ब्यूरो	01
निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	01
आपर विकित्सा अधीक्षक, डी. राय	
मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	03
अपर चिकित्सा अधीक्षक, राफरजांग	
अस्पताल, नई दिल्ली	04

1	2	3	1	2	3
16.	अपर चिकित्सा अधीक्षक, एल.एच.एम.सी. और श्रीमती सुचेता कृष्णानी अस्पताल, नई दिल्ली	03	39.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, हैदराबाद	01
17.	अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलाश्वरी सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	03	40.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, कानपुर	01
18.	अपर चिकित्सा अधीक्षक, जे.आई.टी. एम.ई.आर., चांडिचेरी	03	41.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, लखनऊ	01
19.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चंडीगढ़	01	42.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, बड़दास	01
20.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुणे	01	43.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, मेरठ	01
21.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भोपाल	01	44.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, नागपुर	01
22.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कलकत्ता	01	45.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, जयपुर	01
23.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बंगलौर	01	46.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, पुणे	01
24.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जयपुर	01	47.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, पटना	01
25.	ज्येष्ठ प्रादेशिक निदेशक, आर.ओ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मद्रास	01	48.	ज्येष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, मुम्बई	05
26.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, नई दिल्ली	05	49.	चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी.पैट अस्पताल, नई दिल्ली	01
27.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (एम.एस.डी.), दिल्ली	01	50.	अपर चिकित्सा अधीक्षक, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	01
28.	चिकित्सा अधीक्षक, प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल, आर.के.पुराण, नई दिल्ली	01	51.	चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उदयचाचा अस्पताल, दिल्ली	01
29.	चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस अस्पताल, नई दिल्ली	01	52.	अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य सेवा निदेशालय) दिल्ली प्रशासन	01
30.	चिकित्सा अधीक्षक, प्रसूति केन्द्र, श्रीनिवास पुरी, नई दिल्ली	01	53.	भारसाधक चिकित्सा अधिकारी (जीन)	04
31.	चिकित्सा अधीक्षक, प्रसूति केन्द्र, कालकाजी, नई दिल्ली	01	54.	भारसाधक चिकित्सा अधिकारी (एफ.डब्ल्यू.)	01
32.	ज्येष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, दिल्ली	15	55.	चिकित्सा अधीक्षक, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, नई दिल्ली	01
33.	चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस अस्पताल, बिरजवे कैप, नई दिल्ली	01	56.	अपर चिकित्सा अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली	01
34.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, इलाहाबाद	01	57.	भारसाधक चिकित्सा अधिकारी (दुर्घटना, आपात, परिवहन सेवाएं) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली	01
35.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, जहानाबाद	01	58.	भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, (आहं रोगी विभाग), लोकनायक जयप्रकाश नारायण	01
36.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, बंगलौर	01	59.	अस्पताल, नई दिल्ली	01
37.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, मुम्बई	01	60.	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, अन्धमान और निकोबार प्रशासन	01
38.	अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, कलकत्ता	01		चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी.पैट अस्पताल, पोर्ट ल्यौर	01

1	2	3	1	2	3
क्रम संख्या	पदनाम/विशेषज्ञता	पर्यंते की संख्या	क्रम संख्या	पदनाम	पर्यंते की संख्या
1	2	3	1	2	3
61.	चिकित्सा अधीक्षक, स्विकृत अस्पताल कार निकोचार	01	7.	विकिरणी चिकित्सा विज्ञान	04
62.	भार साधक चिकित्सा अधिकारी, उत्तरी और मध्य अन्दमान, बाबाघन्दर	01	8.	संवेदनाहरण-विज्ञान	09
63.	ज्योष्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, कलकत्ता	05	9.	प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान	14
64.	ज्योष्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, भट्टाचार्य	02	10.	आल चिकित्सा	10
65.	ज्योष्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार रवास्था सेवा, हैदराबाद	02	11.	निरोधक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान	11
66.	अपर निदेशक, एन.आई.सी.डी., दिल्ली	01	12.	शरीर विज्ञान	06
67.	अपर निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उभ्यूलन कार्बिकाम	01	13.	जीव रसायन	03
68.	अपर निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्	01	14.	न्यायिक चिकित्सा शास्त्र विज्ञान	04
69.	अपर निदेशक, केन्द्रीय कुछ प्रशिक्षण अनुसंधान, मंस्थान, चंगलपट्टू	01	15.	नेत्र विज्ञान	04
70.	अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संगठन, कलकत्ता	02	16.	त्वचा और चौन रोग	03
71.	अपर सीरम विज्ञानी, और रसायन परीक्षक (एस. और सी.ई.), कलकत्ता	01	17.	कान, नाक तथा गला	04
72.	अपर निदेशक, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर	01	18.	विकलांग शल्य चिकित्सा	04
73.	अपर निदेशक, ए.आई.आई.पी.एम.ई.आर., कलकत्ता	02	19.	बाल शल्य चिकित्सा	02
74.	अपर निदेशक, केन्द्रीय भन: चिकित्सा संस्थान, रांची	01	20.	सनोधिकृति विज्ञान	02
75.	उप निदेशक, साधारण (चिकित्सा), (मुख्यालय), दिल्ली	01	कुल		131
76.	उप निदेशक, साधारण (चिकित्सा), उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	01	(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय		
77.	उप निदेशक, साधारण (चिकित्सा), पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता	01	क्रम संख्या पदनाम		
78.	उप निदेशक, साधारण (चिकित्सा), दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र, हैदराबाद	01	1 2 3		
	कुल	123	1. सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा (आयुर्विज्ञान शिक्षा)	01	
4.	(1) अश्यापन विशेषज्ञ उप काउडर (सहायक प्राचार्य/सहयुक्त प्राचार्य/प्राचार्य)		(ग) अखिल भारतीय स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता		
क्रम संख्या	पदनाम/विशेषज्ञता	पर्यंते की संख्या	1. अर्थात् भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	02	
1	2	3	2. शरीर विज्ञान	07	
	1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		3. विकृति विज्ञान	08	
(क) लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय तथा सुवेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली			4. सूक्ष्म विज्ञान	06	
1.	शरीर रचना विज्ञान	07	5. आयुर्विज्ञान	10	
2.	भेषजगुण विज्ञान	04	6. शल्य चिकित्सा	10	
3.	विकृति विज्ञान	07	7. संवेदनाहरण विज्ञान	06	
4.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	07	8. नेत्र विज्ञान	05	
5.	शल्य चिकित्सा	11	9. कान, नाक तथा गला	03	
6.	आयुर्विज्ञान	15	10. विकिरण विज्ञान	04	
			11. निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान	05	
			12. प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान	10	
			13. भेषजगुण विज्ञान	06	
			14. अस्थि विकलांग शल्य चिकित्सा	05	
			15. आल चिकित्सा	05	
			16. अक्षमा और क्षय रोग	04	
			17. चर्म तथा रतिज रोग	04	
			18. वक्ष शल्य चिकित्सा	02	
			19. हृदय रोग विज्ञान	03	
			20. सूत्र विज्ञान	03	

1	2	3	1	2	3
21.	मनोविज्ञान	03	(ख) जी.ली. पंत अस्पताल, नई दिल्ली		
22.	न्यायिक चिकित्सा शास्त्र विज्ञान	03	1. तंत्रिका विज्ञान	05	
23.	जीव रसायन	03	2. हृदय शल्य चिकित्सा	05	
24.	विकिरणी चिकित्सा	02	3. तंत्रिका शल्य विज्ञान	05	
25.	आंतःशाव विज्ञान और उपषाचान	02	4. मनोविज्ञान	05	
26.	तंत्रिका विज्ञान	02	5. हृदय रोग विज्ञान	08	
27.	जीवतंत्रिविज्ञानशब्द शर्त्य चिकित्सा	02	6. संबेदनाहरण विज्ञान	06	
28.	हृद-बक्षीय शल्य चिकित्सा	02	7. जठरान्त्ररोगविज्ञान	05	
29.	लोक स्वास्थ्य	01	8. सूक्ष्म जीव विज्ञान	05	
	कुल	133	9. विकिरणी विज्ञान	05	
(छ) केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान, राज्यी			10. विकृति विज्ञान	05	
1.	मनोविज्ञान	07	11. जीव रसायन	05	
2.	तंत्रिका विज्ञान	01	12. शल्य चिकित्सा	02	
3.	विकिरणी विज्ञान	01	13. जठरान्त्र शल्य चिकित्सा	01	
4.	संबेदनाहरण विज्ञान	01	कुल	62	
	कुल	10	(ग) गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं जायुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली		
(च) केन्द्रीय अस्थि विज्ञानांगता संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली			1. आयुर्विज्ञान	05	
1.	अस्थि विकलांगता विज्ञान	04	2. शल्य चिकित्सा	05	
2.	विकृति विज्ञान	03	3. सूक्ष्म रोग विज्ञान और प्रसूति रोग विज्ञान	05	
3.	विकरणी विज्ञान	01	4. बात चिकित्सा विज्ञान	04	
	कुल	08	5. संबेदनाहरण विज्ञान	06	
	2. दिल्ली सधीय राज्यपाली क्षेत्र		6. विकरणी विज्ञान	04	
(क) मौलाना आजाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली			7. कान, नाक तथा गला	02	
1.	शरीर स्वता विज्ञान	11	8. तंत्रिका विज्ञान	01	
2.	शरीर विज्ञान	11	9. विकरणी चिकित्सा	03	
3.	जीव रसायन	10	10. नेत्र विज्ञान	02	
4.	विकृति विज्ञान	12	11. अस्थि विकलांग विज्ञान	02	
5.	भेदजग्नु विज्ञान	08	12. त्वचा विज्ञान	01	
6.	निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान	13	13. तंत्रिका शल्य चिकित्सा	01	
7.	शल्य चिकित्सा	16	14. अस्थि विकलांग शल्य चिकित्सा	01	
8.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	10	15. त्वचा और रतिज विज्ञान	01	
9.	आयुर्विज्ञान	15	16. रोग विकृति विज्ञान	03	
10.	प्रतॄप्ति तथा इत्री रोग विज्ञान	13	17. मनोविज्ञान	01	
11.	विकिरणी चिकित्सा	09	कुल	47	
12.	नेत्र विज्ञान	13	( 2 ) उद्धारात्मक उप-क्रठर		
13.	बात चिकित्सा विज्ञान	13	( छिरोपत्र श्रेणी 1/श्रेणी 2 )		
14.	संबेदनाहरण विज्ञान	12	स्थास्थ और धरिवार कल्पणा भंगालय		
15.	कान, नाक तथा गला	08	(क) स्थास्थ सेवा महानिदेशालय		
16.	विकलांग शल्य चिकित्सा	07	1. सहायक स्थास्थ सेवा महानिदेशक (नेत्र विज्ञान)	01	
17.	चार्प तथा रतिज रोग	03	2. सहायक स्थास्थ सेवा महानिदेशक (वृक्ष)	01	
18.	न्यायिक चिकित्सा शास्त्र विज्ञान	07	3. वृक्ष अधिकारी	01	
19.	रेहियो चिकित्सा	06	कुल	03	
20.	बात शल्य चिकित्सा	02			
21.	मनोविज्ञान	01			
	कुल	200			

1	2	3	1	2	3
(ए) समन्वयजंग अस्पताल, नई दिल्ली			12.	त्वचा विज्ञानी/वर्चा विशेषज्ञ	02
1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	15		13.	तंत्रिका शाल्य चिकित्सक	04
2. काय चिकित्सक (न्यूक्लियर औषध)	01		14.	अंतःस्थल विज्ञानी	02
3. रूधिर वैज्ञानिक	03		15.	जठरांत्ररोग विज्ञानी	02
4. शाल्य चिकित्सक	12		16.	बृद्धकरञ्जना विज्ञानी	02
5. रोग विकृति विज्ञानी	11		17.	तंत्रिका विज्ञानी	02
6. नेत्र विशेषज्ञ	01		18.	बाल चिकित्सा शाल्य विज्ञान	02
7. बाल चिकित्सक	10		19.	मूत्र रोग विज्ञान	02
8. मनोदेनाहरण विज्ञानी	23		20.	प्लास्टिक शाल्य चिकित्सक	05
9. बाल चिकित्सा विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	14		21.	हृदय रोग विज्ञानी/काय चिकित्सक (हृदय रोग विज्ञान)	07
10. कैंसर शाल्य चिकित्सक	02			कुल	96
11. अस्थि शाल्य चिकित्सक	07		(घ) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कासोली		
12. हृद-वक्ष/वक्ष शाल्य चिकित्सक	02		1. उप निदेशक/सहायक निदेशक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	15	
13. कान, नाक-गला विशेषज्ञ	01			कुल	15
14. मूत्र विज्ञानी	02		(ड) केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टु		
15. मनोविकृति विज्ञानी	05		1. सहायक निदेशक (सूक्ष्म/जीवाणु विज्ञानी)	03	
16. विकरणी चिकित्सा	05		2. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02	
17. तंत्रिका विज्ञानी	01		3. अस्थि शाल्य चिकित्सक/सहायक (अस्थि)	03	
18. सूक्ष्म जीव विज्ञानी/जीवाणु विज्ञानी/सौरम विज्ञानी	09		4. विकृति विज्ञान/सहायक निदेशक (विकृति विज्ञान)	02	
19. त्वचा रोग विज्ञानी/त्वचा रोग विशेषज्ञ	01			कुल	10
20. विकरणी निदान विशेषज्ञ	10		(च) राष्ट्रीय संचारी सेंग संस्थान, नई दिल्ली		
21. न्यायिक चिकित्सा शास्त्र विशेषज्ञ	03		1. सहायक निदेशक (सूक्ष्म/जीवाणु विज्ञानी)	12	
22. कार्बोचिकित्सा (वक्ष/श्वसन रोग)	03			कुल	12
23. अन्तःस्थल विज्ञानी	02		(छ) राष्ट्रीय यक्षमा संस्थान, बंगलौर		
24. जठरांत्र रोग विज्ञानी	02		1. निदेशक (यक्षमा विशेषज्ञ)	01	
25. मेघ विज्ञानी	02		2. यक्षमा विशेषज्ञ	03	
26. सहायक निदेशक (कायिक औषध और पुनर्वास)	06			कुल	04
27. हृदय रोग विज्ञानी/काय चिकित्सक (हृदय रोग विज्ञान)	07		(ज) बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी		
28. प्लास्टिक शाल्य चिकित्सक	20		1. निदेशक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	01	
29. बाल चिकित्सा शाल्य विज्ञानी	03			कुल	01
30. तंत्रिका शाल्य विज्ञान	04		(झ) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, यूबी		
		187	1.	उप निदेशक (पुनर्वास)	02
(ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली			2.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	14		3.	विकृति विज्ञानी	01
2. शाल्य चिकित्सक	07		4.	संवेदनाहरण विज्ञानी	01
3. बाल चिकित्सक	03			कुल	05
4. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	11		(ज)(क) कलाकृती संग्रह बाल अस्पताल, नई दिल्ली		
5. अस्थि चिकित्सा शाल्य चिकित्सक	05		1. भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास	01	
6. बाल चिकित्सक और स्त्री रोग विज्ञानी	03		2. बाल चिकित्सा	02	
7. मनोविकार विज्ञानी	01		3. जीवाणु विज्ञानी	01	
8. संवेदनाहरण विज्ञानी	08		4. विकरणी निदान	01	
9. विकृति विज्ञानी	07			कुल	05
10. जीवाणु विज्ञानी	05				
11. कान, नाक व गला विशेषज्ञ	02				

1	2	3	1	2	3
(ज) (ख) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली			(ग) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली		
1. मनोविकार विज्ञानी	02		1. सरकार		
कुल	02		आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ/कार्य चिकित्सक	07	
(ट) लोकनायक जनप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली			2. बाल चिकित्सक	08	
1. खासियक शाल्य चिकित्सक	04		3. बाल चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ	07	
2. संबेदनाहरण विज्ञानी	06		4. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	12	
3. शाल्य चिकित्सक	03		5. नेत्र विशेषज्ञ	12	
4. चैव रसायनका	01		6. त्वचा और रुदित रोग/त्वचा रोग विज्ञानी/त्वचा विशेषज्ञ	07	
5. अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01		कुल	53	
6. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	01		(त) एन. सी. जोशी अस्पताल, दिल्ली		
7. वाल चिकित्सक	01		1. अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01	
8. बाल चिकित्सक और स्त्री रोग विज्ञानी	01		कुल	01	
9. विकरणी निदान विशेषज्ञ	01		(थ) गग तुलाराम स्मारक अस्पताल, जबर पुर, दिल्ली		
10. विकृति विज्ञानी	02		1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
11. जीवाणु विज्ञानी/सूक्ष्म जीव विज्ञानी/सौरम विज्ञानी	02		2. शाल्य चिकित्सक	01	
12. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02		3. बाल चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ	01	
कुल	25		4. बाल चिकित्सक	01	
(ठ) सिंघिल अस्पताल, दिल्ली			5. नेत्र विशेषज्ञ	01	
1. चिकित्सा अधीक्षक-एवं-चिकित्सा विधिक विशेषज्ञ	01		6. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	01	
कुल	01		7. विकृति विज्ञानी	01	
(ड) एस.जी.एम.अस्पताल, बंगलपुरी			8. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	
1. संबेदनाहरण विज्ञानी	01		9. अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01	
2. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	01		कुल	09	
3. बाल चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ	01		(इ) लाल बहादुर शास्त्री स्मारक अस्पताल, दिल्ली		
4. नेत्र विशेषज्ञ	01		1. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	01	
5. बाल चिकित्सक	01		2. बाल चिकित्सा और स्त्री रोग विशेषज्ञ	01	
6. विकृति विज्ञानी	01		3. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
7. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01		4. नेत्र विशेषज्ञ	01	
8. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01		5. अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01	
9. शाल्य चिकित्सक	01		6. बाल चिकित्सक	01	
कुल	09		7. विकृति विज्ञानी	01	
(इ) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली			8. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	
1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	03		9. शाल्य चिकित्सक	01	
2. शाल्य चिकित्सक	03		कुल	09	
3. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	01		(ध) बाबू जगजीवन राम अस्पताल, दिल्ली		
4. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	02		1. कान, नाक, गला विशेषज्ञ	01	
5. बाल चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ	04		2. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
6. नेत्र विशेषज्ञ	01		3. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
7. अस्थि विशेषज्ञ	03		4. नेत्र विशेषज्ञ	01	
8. बाल चिकित्सक	02		5. अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01	
9. विकृति विज्ञानी	02		6. बाल चिकित्सा विज्ञानी	01	
10. संबेदनाहरण विज्ञानी	03		7. विकृति विज्ञानी	01	
कुल	24		8. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	
			9. शाल्य चिकित्सक	01	
			कुल	09	

1	2	3	1	2	3
(न) मानसिक रोग अस्पताल, शहदग्र			(कक) केन्द्रीय अस्पताल, देबन्दोरा, गोआ		
1. संवेदनाहरण विज्ञानी	01		1. शल्य चिकित्सक	01	
2. मनोविकार विज्ञानी	09		2. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
3. विकारणी निदान में विशेषज्ञ	01		3. संवेदनाहरण विज्ञानी	01	
	कुल	11	4. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
(प) पुलिस अस्पताल, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली				कुल	04
1. विकृति विज्ञानी/चिकित्सा अधीक्षक-एवं-चिकित्सा विधिक विशेषज्ञ	02		(खख) केन्द्रीय अस्पताल, जोड़ा, उडीसा		
2. अस्थि चिकित्सा शल्य चिकित्सक	01		1. शल्य चिकित्सक	01	
3. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01			कुल	01
4. कान नाक शाला विशेषज्ञ	01				
5. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01		(ग) केन्द्रीय अस्पताल, बारांगज, उडीसा		
6. नेत्र विशेषज्ञ	01		आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
7. विकारणी निदान	01			कुल	01
8. शल्य चिकित्सक	01				
	कुल	09	(घघ) दादरा नागर हवेली प्रशासन		
(फ) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली			1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01		2. संवेदनाहरण विज्ञानी	01	
	कुल	01	3. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
(ब) अस्पताल प्रदेश प्रशासन			4. नेत्र विशेषज्ञ	01	
1. शल्य चिकित्सक	01		5. जात चिकित्सा विज्ञानी	01	
2. नेत्र विशेषज्ञ	01		6. शल्य चिकित्सक	01	
3. अधीक्षक, टी.बी. अस्पताल, मारुथेरिय	01			कुल	06
4. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01				
	कुल	04	(ठठ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हैदराबाद		
(भ) लक्ष्मीप्रसासन			1. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
1. बाल चिकित्सा विज्ञानी	01			कुल	01
2. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01				
3. शल्य चिकित्सक	02				
4. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	02				
5. संवेदनाहरण विज्ञानी	02				
6. विकृति विज्ञानी	01				
7. नेत्र विशेषज्ञ	01				
	कुल	10	(चच) डी. एन. के. परियोजना		
(म) केन्द्रीय अस्पताल, बालाघाट			1. शल्य चिकित्सक	01	
1. चिकित्सा अधीक्षक-एवं-शल्य चिकित्सक	01		2. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
2. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01			कुल	02
3. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01				
	कुल	03	(छछ) सौरभ विज्ञानी और रसायन परीक्षक का		
(न) केन्द्रीय मनोविकार चिकित्सा संस्थान, रांची			कार्यालय, कलकत्ता		
1. विकृति विज्ञानी	01		1. जीवाणु विज्ञानी	02	
			2. विकृति विज्ञानी	01	
(जज) केन्द्रीय मनोविकार चिकित्सा संस्थान, रांची				कुल	03
1. विकृति विज्ञानी	01				
(झझ) आर. एल. टी. आर. आई., गैरी पुर					
1. सहायक निदेशक (अस्थि चिकित्सा)	01				
2. सहायक निदेशक (विकृति विज्ञानी)	01				
3. सहायक निदेशक (जीवाणु विज्ञानी)	01				
	कुल	03			
(य) केन्द्रीय अस्पताल, कर्मा					
1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01				
2. शल्य चिकित्सक	01				
3. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01				
	कुल	03			

1	2	3	1	2	3
(अत्र) अखिल भारतीय स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कालकाता			11.	अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01
1. सामूह जीव विज्ञानी/सहायक निदेशक (सूचना)	01	02	12.	तंत्रिका विज्ञानी	01
	कुल				
(टट) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, आस्का (डिडीआ)			(एण्ड) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम, कालकाता		81
1. शाल्य चिकित्सक	01		1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
2. विकृति विज्ञानी	02	02	2. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
	कुल		3. नेत्र विशेषज्ञ	01	
(ठठ) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर			4. विकृति विज्ञानी	01	
1. सहायक निदेशक (जीवाणु विज्ञानी)	01		5. विकरणी निदान	01	
2. सहायक निदेशक (विकृति विज्ञानी)	01	01	6. कान नाक गला विशेषज्ञ	01	
3. सहायक निदेशक (अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सा)	01		7. बाल चिकित्सक	01	
	कुल		8. चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01	
(डड) अंदमान और निकोबार प्रशासन				कुल	06
1. संबेदनाहरण विज्ञानी	02		(तत) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम, मुम्बई		
2. नाक कान गला विशेषज्ञ	01		1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02	
3. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	04		2. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	02	
4. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	03		3. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	02	
5. नेत्र विज्ञान विद्य/नेत्र विशेषज्ञ	02		4. नेत्र विशेषज्ञ	01	
6. अस्थि विकलांग शाल्य चिकित्सक	01		5. विकृति विज्ञानी	02	
7. बाल चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	02		6. बाल चिकित्सक	02	
8. विकृति विज्ञानी	01		7. चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	02	
9. विकरणी निदान		03		कुल	13
10. चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ			(थथ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम, मेरठ		
11. शाल्य चिकित्सक		02	1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	
12. अक्षमा विशेषज्ञ		01		कुल	01
13. मनोविकार विज्ञानी		01	(दद) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम, नागपुर		
	कुल	22	1. नेत्र विशेषज्ञ	01	
(हह) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम, दिल्ली			2. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02	
1. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ			3. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	
(एक उपराष्ट्रपति संविधालय के लिए और तीन हारा.आर.आर. स्कॉम के अधीन अति विशेष व्यक्तियों के लिए)		20	4. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
2. शाल्य चिकित्सक		07	5. कान नाक गला विशेषज्ञ	01	
3. नेत्र विशेषज्ञ		10	6. बाल चिकित्सक	01	
4. कान नाक गला विशेषज्ञ		07	7. चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01	
5. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी		12		कुल	08
6. चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ		06	(धध) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम, नागपुर		
7. बाल चिकित्सक		05	1. प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	
8. मनोविकार विज्ञानी		04	2. आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02	
9. विकरणी निदान में विशेषज्ञ		03	3. विकृति विज्ञानी	01	
10. विकृति विज्ञानी		05	4. विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	

1	2	3	1	2	3
6.	विकृति विज्ञानी	02	5.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
7.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	02	6.	नेत्र विशेषज्ञ	01
8.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	02	7.	बाल चिकित्सक	01
	कुल	15	8.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
(एष) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, इलाहाबाद				कुल	10
1.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	(यथ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, अहमदाबाद		
2.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02	1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
3.	विकृति विज्ञानी	02	2.	विकृति विज्ञानी	01
4.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01		कुल	02
5.	बाल चिकित्सा विज्ञानी	01	(काकक) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, पुणे		
6.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01	1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
	कुल	08	2.	विकृति विज्ञानी	01
(फफ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, हैदराबाद			3.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02	4.	नेत्र विशेषज्ञ	01
2.	विकृति विज्ञानी	02	5.	बाल चिकित्सा विज्ञानी	01
3.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	02	6.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
4.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01		कुल	06
5.	कान नाक गला विशेषज्ञ	01	(खखख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, जयपुर		
6.	नेत्र विशेषज्ञ	01	1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01
7.	बाल चिकित्सक	01	2.	विकृति विज्ञानी	01
8.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01	3.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01
	कुल	11	4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01
(बब) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, बंगलौर			5.	नेत्र विशेषज्ञ	01
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	6.	कान नाक गला विशेषज्ञ	01
2.	विकृति विज्ञानी	01	7.	बाल चिकित्सा विज्ञानी	01
3.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	8.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01		कुल	08
5.	कान नाक गला विशेषज्ञ	01	(III लोक स्वास्थ्य उप-काड़ )		
6.	नेत्र विशेषज्ञ	01	विशेषज्ञ श्रेणी I/विशेषज्ञ श्रेणी II		
7.	बाल चिकित्सक	01	(अ) परिवार कल्याण विभाग		
8.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01	(क) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान, मुम्बई		
	कुल	08	1.	निदेशक	01
(भभ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, पटना			2.	उप निदेशक	01
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	01	3.	सहायक आयुक्त (प्रतिरक्षण)	01
2.	विकृति विज्ञानी	01		कुल	03
3.	कान नाक गला विशेषज्ञ	01	(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय		
4.	प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विज्ञानी	01	1.	सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (कुल)	01
5.	नेत्र विशेषज्ञ	01	2.	सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	01
6.	बाल चिकित्सक	01	(लंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य)		
7.	विकरणी निदान में विशेषज्ञ	01	3.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	01
8.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01	(घबिलक स्वास्थ्य और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो)		
	कुल	08	4.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (रोग प्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम)	01
(मम) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, लखनऊ			5.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य)	01
1.	आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ	02			
2.	विकृति विज्ञानी	02			
3.	चर्म चिकित्सक/त्वचा विशेषज्ञ	01			
4.	कान नाक गला विशेषज्ञ	01			

1	2	3	1	2	3
6.	उप सहायक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (कुच्छ)	01	(ठ) विमानपत्रन/पत्रन स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई		
	कुल	06	1. पत्रन स्वास्थ्य अधिकारी, मुम्बई	01	
(ग) केन्द्रीय कुच्छ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चिगलपट्टू			2. विमानपत्रन स्वास्थ्य अधिकारी, मुम्बई	01	
1.	उप निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01			कुल
2.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01			02
3.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान और मूल्यांकन)	01			
	कुल	03			
(घ) केन्द्रीय कुच्छ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (म.प्र.)			(इ) विमानपत्रन/पत्रन स्वास्थ्य संगठन, कलकत्ता		
1.	निदेशक	01	1. पत्रन स्वास्थ्य अधिकारी, कलकत्ता	01	
2.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01	2. विमानपत्रन स्वास्थ्य अधिकारी	01	
	कुल	02			
(ङ) केन्द्रीय कुच्छ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, (प.बं.)					
1.	निदेशक	01	(ट) पत्रन स्वास्थ्य संगठन, मद्रास		
2.	सहायक निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01	1. पत्रन स्वास्थ्य अधिकारी	01	
	कुल	02	कुल	01	
(च) केन्द्रीय कुच्छ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का			(प) विमानपत्रन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली		
1.	निदेशक	01	1. विमानपत्रन स्वास्थ्य अधिकारी	01	
	कुल	01			
(छ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली			(त) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली		
1.	उप निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01	1. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	02	
2.	उप निदेशक (फाइलरिया)	01			
3.	सहायक निदेशक	15			
	कुल	17			
(ज) राष्ट्रीय घक्षा संस्थान, बंगलौर			(थ) परिवार कल्याण महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली		
1.	जानपदिक रोग विज्ञानी	01	1. उप निदेशक (प्रतिरक्षण)	02	
	कुल	01			
(झ) राष्ट्रीय मलोरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली			(द) लक्ष्मीप्रसासन		
1.	उप निदेशक (जानपदिक रोग विज्ञान)	01	1. उप निदेशक	01	
2.	केन्द्रीय निदेशक (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) (अहमदाबाद, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ)	04	2. जिला प्रतिरक्षण अधिकारी	01	
3.	सहायक निदेशक	05			
	कुल	10			
(अ) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली			(झ) सफारजांग अस्पताल, नई दिल्ली		
1.	प्रभारी अधिकारी	01	1. जानपदिक रोग विज्ञानी	01	
	कुल	01			
(ट) अखिल भारतीय स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता			(क) अन्दमान और निकोबार प्रशासन		
1.	चिकित्सा अधिकारी (औद्योगिक स्वास्थ्य)	01	1. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा	01	
2.	चिकित्सा अधिकारी (पोषण)	01			
3.	जानपदिक रोग विज्ञानी	01			
4.	चिकित्सा अधिकारी (विद्यालय स्वास्थ्य)	01			
5.	चिकित्सा अधिकारी (गृह सेवा)	01			
6.	केन्द्रीय जानपदिक रोग विज्ञान	01			
7.	ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी (जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्रीय अध्यधन)	01			
	कुल	07			
			(प) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)		
			1. उप निदेशक (रक्त सुरक्षा)	01	
			2. सहायक निदेशक	02	
			(IV) साधारण इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-काउंसल (चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी)		03
			(क) परिवार कल्याण विभाग		
			1. सहायक आयुक्त	01	
			2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (केन्द्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) (इम्पाल, जयपुर, श्रीनगर, शिलांग, त्रिवेन्द्रम, मद्रास)	07	

3.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय (चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी):	01	(ज) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	02
	अहमदाबाद	01	(ट) केन्द्रीय मनोविज्ञान भवन, रांची	
	बंगलौर	01	1. उप चिकित्सा अधीक्षक (मुख्य चिकित्सा अधिकारी)	01
	भोपाल	01	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी	06
	भुवनेश्वर	02	(ठ) लोडी हाईंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नई दिल्ली	04
	कलकत्ता	01	(ड) कलायती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	04
	चंडीगढ़	01	(ढ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	23
	हैदराबाद	02	(ए) अखिल भारतीय स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	04
	इम्फाल	02	(त) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	06
	जयपुर	01	(थ) सीरम विज्ञानी और रसायन फैसलक का कार्यालय, कलकत्ता	05
	लखनऊ	01	(द) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़	15
	मद्रास	03	(घ) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कस्तूरी	04
	पटना	02	(न) लक्ष्मीप्रसादसन	15
	पुणे	01	(ए) अन्दमान और निकोबार प्रशासन	22
	शिलांग	02	(फ) दादरा नगर हवेली	02
	त्रिवेद्यम	01	(ब) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	04
	कुल	37	(भ) राजकुमारी अमृतकौर परिवर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली	01
			(म) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली	01
			(य-1) संचार मंत्रालय डाक विभाग	128
			(य-2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	
			1. भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक	10
		73	2. सुरक्षा मुद्रणालय, होशंगाबाद	02
		63	3. भारत सरकार मुद्रणालय, मुम्बई	02
		06	4. दैनंदिन नोट मुद्रणालय, देवास	07
		03	5. भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	03
		04	6. सुरक्षा मुद्रणालय, हैदराबाद	01
		11	7. भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	01
		08	8. सरकारी अफीम और एल्कोहल संकर्म, नीमच	01
		01	9. कर्नाटक नोट मुद्रणालय, नासिक	01
		06	10. भारत सरकार टकसाल, नोएडा	01
			(अभ) श्रम मंत्रालय	
			1. इलाहाबाद प्रदेश	14
			2. बंगलौर प्रदेश	38

3.	भीलवाड़ा प्रदेश	25	9.	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मार्मगोक्ता	01
4.	भुवनेश्वर प्रदेश	27	10.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली	06
5.	कलकत्ता प्रदेश	14	11.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, कलकत्ता	04
6.	गोचा प्रदेश	06	12.	अटारी सीमा संगठन, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन,	
7.	हैदराबाद प्रदेश	29		अमृतसर	02
8.	जबलपुर प्रदेश	42	(अंजं)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी)	704
10.	जानपुर प्रदेश	15			
11.	एफ.टी.आई., बंगलौर	15	(अ.अ.)	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	
12.	ए.टी.आई., मुम्बई	01	1.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, दिल्ली	678
13.	ए.टी.आई., कलकत्ता	01	2.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, इलाहाबाद	42
14.	ए.टी.आई., हैदराबाद	01	3.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, अहमदाबाद	17
(आआ)	गृह मंत्रालय		4.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, बंगलौर	55
1.	অসম রাইফলস্স	290	5.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, মুম্বাই	115
2.	কেন্দ্রীয় ঔষধোগিক সুরক্ষা বৰ্ত	16	6.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, কলকত্তা	88
3.	আসুচনা ব্যূরো	07	7.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, মদ্রাস	68
(ইই)	সিখিল বিমানন মন্ত্রালয়	01	8.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, হেদরাবাদ	68
(ইই)	শাহী চিকাস মন্ত্রালয়	13	9.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, কানপুর	52
(ডড)	খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রালয়	02	10.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, মেরাঠ	29
(ঊঊ)	লাল বহাদুর শাস্ত্রী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অকাদমী, মসূরী	02	11.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, জয়পুর	24
(এএ)	সরদার বর্লভ ভাঈ পটেল রাষ্ট্রীয় পুলিস অকাদমী, হেদরাবাদ	02	12.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, পটনা	24
(ঐঐ)	বিজ্ঞান ও প্রযোগিক বিভাগ, ভাৰত সরকার কা মহাসচিবকল, দেহৱান	11	13.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, ভুবনেশ্বর	06
(আআ)	পরিষ্কৃত মন্ত্রালয়	02	14.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, জবলপুর	15
(ওঁওঁ)	বিমান পত্তন/পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন		15.	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, রাঁচী	06
1.	পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, মুম্বাই	10	(ঢঢ)	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, লখনউ	31
2.	বিমানপত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, মুম্বাই	06	(ঢঢ)	কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য স্কীম, পুণে	34
3.	পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, কলকত্তা	09	(ঘঘ)	বী.সী.জী. বৈবসীন প্রযোগশালা গিঁড়ী	01
4.	পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, মদ্রাস	04	(ঘঘ)	লেডি রীডিং স্বাস্থ্য বিদ্যালয়, দিল্লী	01
5.	বিমানপত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, তিলিচুপললী	02	(তত)	কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ অনুসংধান কেন্দ্, পুণে	01
6.	পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, কোচ্চীন	02		দিল্লী দুর্ঘ স্কীম, দিল্লী	01
7.	পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, বিশাখাপটনম	02	টিপ্পণি :	পদে কী সংখ্যা, কার্যভাৰ কে আধাৰ পৰিৱৰ্তন কে অধীন হোৰি।	
8.	পত্তন স্বাস্থ্য সংগঠন, কাণ্ডলা	02			

[भाग II—खण्ड 3(i)]

## अनुशूल्यी - III

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में समूह "क" द्वारी पर्याप्त अधिकारीयों की नियुक्ति या प्रोन्ति के लिए भर्ती की पढ़ति, प्रोन्ति के लिए चयन का सेवा और ठीक नियन्त्रण श्रेणी या नियन्त्रण श्रेणी में न्यूनतम अर्हता सेवा।

क्र सं.	पदाम	भर्ती की पढ़ति	प्रोन्ति के लिए चयन का सेवा और न्यूनतम अर्हता सेवा
I.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (साधारण प्रशासनिक पद)		
(i)	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा	प्रोन्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	7300-7600 रु. बेतनमान में के ऐसे अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा/संस्थाओं और संगठनों/राज्यीय कार्यक्रमों के ऐसे प्रधान श्रेणी ने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर 7300-7600 रु. और 5900-6700 रु. की श्रेणियों में 5 वर्ष समिलित नियमित सेवा की है।
(ii)	7300-7600 रु. की श्रेणियों में अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा/संस्थाओं और संगठनों/राज्यीय कार्यक्रमों के ऐसे प्रधान	प्रोन्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	सुपरटाईम श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 5900-6700 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर 5900-6700 रु. के बेतनमान में ऐसे सुपरटाईम श्रेणी अधिकारी जिन्होंने विशेषज्ञ श्रेणी-1, आचार्य या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एस.एस.जी.) के स्तर पर दक्षात्ति, नियुक्ति या प्रोन्ति के पश्चात् द्वारा वर्ध नियमित सेवा की हो।
II	अध्यापन विशेषज्ञ उपकाड़र पद		
(क)	सुपर टाइम श्रेणी		
एपेस्ट प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	विशेषज्ञ श्रेणी-1 जिन्होंने 4500-5700 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जाहे वह सेवा कृत्यशील श्रेणी में की नहीं हो या 4500-5700 रु. की अकृत्यशील श्रेणी में, जिसके न हो सकने पर, 4500-5700 रु., 3700-5000 रु., या 3000-5000 रु. की श्रेणी में 13 वर्ष की समिलित सेवा हो अथवा नियम 4 (8)(2) के अधीन यथाविहित सभी विशेषज्ञताओं के अध्यापन विशेषज्ञों की सामान्य पात्रता सूची के आधार पर उसी उपकाड़र में, 3700-5000 रु. की श्रेणी में सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की 4500-5700 रु. और 3700-5000 रु. की श्रेणी में 11 वर्ष की समिलित सेवा हो।	
(ख)	विशेषज्ञ श्रेणी		
1. विशेषज्ञ श्रेणी-I आचार्य	रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना अवधन के आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे सहयुक्त आचार्य जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो या ऐसे सहयुक्त आचार्य जिन्होंने सहयुक्त आचार्य और सहायक आचार्य की श्रेणियों में 8 वर्ष समिलित सेवा की हो, जिसमें से कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा सहयुक्त आचार्य की श्रेणी में हो।	
2. विशेषज्ञ श्रेणी-II	सीधी भर्ती द्वारा	टिप्पणी:	
(i)	सहयुक्त आचार्य (सुपर-विशेषज्ञताएं)	अकृत्यशील चयन श्रेणी (4500-5700 रु.) के सभी सहयुक्त आचार्यों की तारीख 1-12-91 से आचार्य के रूप में घोषित किया जाएगा और एस.ए.जी.स्टर के पदों 5900-6700 रु. पर प्रोन्ति के लिए विचार किए जाने के लिए शान्त सुनियाँ तैयार करने के प्रयोजनार्थ उन्हें सामूहिक रूप से विद्यमान आचार्यों से नीचे रखा जाएगा।	
		अहसा, अनुभव और आम सीमा आदि के लिए अनुशूल्यी V देखें।	

(ii) सहायता आचार्य (सुपर विशेषज्ञ-ताओं से भिन्न)	रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।
(iii) सहायता आचार्य	सीधी भर्ती द्वारा	अर्हता, अनुभव और आयु सीमा आदि के लिए अनुसूची V देखें।
III अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-काडर पद	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	विशेषज्ञ श्रेणी-I जिन्होंने 4500-5700 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, चाहे वह सेवा कृत्यशील श्रेणी में की गई हो या 4500-5700 रु. की अकृत्यशील श्रेणी में, जिसके न हो सकने पर, 4500-5700 रु., 3700-5000 रु. या 3000-5000 रु. की श्रेणी में 13 वर्ष की सम्मिलित सेवा हो अथवा नियम 4(8)(2) के अधीन पथाविहित सभी विशेषज्ञताओं के अध्यापन विशेषज्ञों की सामान्य पात्रता सूची के आधार पर उसी उपकाडर में, 3700-5000 रु. की श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की 4500-5700 रु. और 3700-5000 रु. की श्रेणी में 11 वर्ष की सम्मिलित सेवा हो।
(ख) विशेषज्ञ श्रेणी		
1. विशेषज्ञ श्रेणी-I	रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना अचयन के आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपकाडर में विशेषज्ञ श्रेणी-II जिन्होंने विशेषज्ञ श्रेणी-II (ज्येष्ठ वेतनमान 3700-5000 रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की ही अथवा 3700-5000 रु. और 3000-5000 रु. की श्रेणियों में कुल मिलाकर आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो तथा 3700-5000 रु. की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा हो।
2. विशेषज्ञ श्रेणी-II		
(i) विशेषज्ञ श्रेणी-I (ज्येष्ठ वेतनमान) (सुपर विशेषज्ञताएं)	सीधी भर्ती द्वारा	अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपकाडर में विशेषज्ञ श्रेणी-II अधिकारियों (अध्यापनेतर उप-काडर) को तारीख 1.12.91 से विशेषज्ञ श्रेणी I के रूप में पदाधिहित किया जाएगा और एस.ए.जी. रसां के पदों (5900-6700 रु.) पर प्रोन्नति के लिए विचार करने के प्रयोजनार्थ उन्हें सामूहिक रूप से विद्याधान विशेषज्ञ श्रेणी-I अधिकारियों के नीचे रखा जाएगा।
(ii) विशेषज्ञ श्रेणी-II (ज्येष्ठ वेतनमान) (सुपर विशेषज्ञताओं से भिन्न)	रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपकाडर में 3000-5000 रु. वेतनमान में विशेषज्ञ श्रेणी-II के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में से वर्ष नियमित सेवा की ही।
(iii) विशेषज्ञ श्रेणी-II (कनिष्ठ वेतनमान)	सीधी भर्ती द्वारा	अर्हता, अनुभव और आयु सीमा आदि के लिए अनुसूची V देखें।
IV लोक स्वास्थ्य उपकाडर पद		
(क) सुपर टाइम श्रेणी		
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपकाडर में विशेषज्ञ श्रेणी-I जिन्होंने 4500-5700 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, चाहे वह सेवा कृत्यशील श्रेणी में की गई हो या 4500-5700 रु. की अकृत्यशील श्रेणी में, जिसके न हो सकने पर, नियम 4(8)(2) के अधीन पथाविहित लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सामान्य पात्रता सूची के आधार पर 4500-5700 रु., 3700-5000 रु. या 3000-5000 रु. की श्रेणियों में 13 वर्ष की सम्मिलित सेवा हो।

## [भाग II—खण्ड 3(i)]

(ख) विशेषज्ञ श्रेणी-

(1) विशेषज्ञ श्रेणी-I

(2) विशेषज्ञ श्रेणी-II

(i) विशेषज्ञ श्रेणी-II  
(ज्येष्ठ वेतनमान)(ii) विशेषज्ञ श्रेणी-II  
(कनिष्ठ वेतनमान)साधारण इमूटी उपकार्डर पर  
(क) मुख्य अधिकारी

ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
(अकृत्यशील चयन श्रेणी)

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी

(4) चिकित्सा अधिकारी

टिप्पणि :—1. सभी चारों उपकार्डरों में, 4500-5700 रु. के स्तर से ऊपर के पदों पर प्रोन्नति "चयन" के आधार पर होगी।

2. विभागीय प्रोन्नतियाँ इन उपकार्डरों के अधिकारियों तक सीमित होंगी।

## भारत का राजपत्र : उत्तराधारण

रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना अवधारण के आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

लोक स्वास्थ्य उपकार्डर में विशेषज्ञ श्रेणी-2 जिन्होंने विशेषज्ञ श्रेणी II (ज्येष्ठ वेतनमान 3700-5000 रु.) में ४४ वर्ष नियमित सेवा की हो अथवा 3700-5000 रु. और 3000-5000 रु. की श्रेणियों में कुल मिलाकर आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो तथा 3700-5000 रु. की श्रेणी में कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा हो।

टिप्पणि : अकृत्यशील चयन श्रेणी (4500-5700 रु.) के सभी विशेषज्ञ श्रेणी-II अधिकारियों (लोक स्वास्थ्य उपकार्डर) को 1-12-91 से विशेषज्ञ श्रेणी I के रूप में पदाधिकारित किया जाएगा और एस ए जी स्टर के पदों (5900-6700 रु.) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए ग्राहक सूचियाँ तैयार करने के प्रयोगनार्थ उन्हें सामूहिक रूप से विद्यमान विशेषज्ञ श्रेणी-II अधिकारियों से नीचे रखा जाएगा।

लोक स्वास्थ्य उपकार्डर में 3000-5000 रु. के वेतनमान में ऐसे विशेषज्ञ श्रेणी-II अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में २ वर्ष नियमित सेवा की हो।

अहंताणि, अनुभव और जानु-सीमा आदि के लिए अनुसूची-V देखें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यशील चयन श्रेणी) की श्रेणी में पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में ३ वर्ष नियमित सेवा की हो या जो समूह "क" पदों पर कुल मिलाकर 17 वर्ष सेवा कर चुके हों।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (3700-5000 रु. और जिसमें समूह "क" पदों पर १५ वर्ष नियमित सेवा की हो)

रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना ज्येष्ठ, एवं अन्य योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(ख) चिकित्सा अधिकारी श्रेणी सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोगनार्थ विहित किये गये मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा।

रिक्तियों से अनुबन्ध के बिना ज्येष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

रिक्तियों के अनुबन्ध के बिना ज्येष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

संबंधी लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा और उसके पश्चात् साक्षात्कार या संबंधी लोक सेवा आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जानेगी जो आयोग के पश्चात् से यथाविहित अनु-सीमा और शैक्षिक अहंताओं तथा अनुभव के अनुसार होगी। भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली सही पद्धति का विनियोग प्रत्येक अवसर पर आयोग के पश्चात् से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अहंताणि, अनुभव और जानु-सीमा आदि के लिए अनुसूची 5 देखें।

साधारण इमूटी उपकार्डर में ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो ४ वर्ष नियमित सेवा कर चुका हो।

## अनुसूची-4

केन्द्रीय स्थान्त्रिक सेवा में समूह “क” भवंति वे प्रोन्हाति वा पुष्टि के भागलों पर किचार करने के लिए शमूह “क” विभागीय प्रोन्हाति सनिविच्चा।

अ. विभागीय प्रोन्हाति समिति

उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी

I. साधारण प्रशासनिक घट:

- (i) स्वास्थ्य सेवा भागनिदेशक
- (ii) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
- (iii) सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (2) उपर महानिदेशक स्थान्त्रिक सेवा संस्थाओं और संगठनों/समूह कार्यक्रमों के प्रधान
- (j) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
- (ii) सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (इ) स्थान्त्रिक शेषा भागनिदेशक

अध्यक्ष

सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

II. उच्चाधिकार विशेषज्ञ उप-काउन्स घट

(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी

- (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
- (ii) सचिव वा उपर काम निर्देशिती, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण मंत्रालय
- (iii) स्थान्त्रिक शेषा भागनिदेशक वा उपर काम निर्देशिती
- (iv) सचिव रक्षास्थ शूरू एवं उच्चाधिकार अधिकार सारा नाम निर्देशित एक विभागीय अधिकारी

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

(ख) विशेषज्ञ श्रेणी-1 (प्राचीव)

- (i) सचिव/अपर सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (ii) स्थान्त्रिक शेषा भागनिदेशक/स्थान्त्रिक सेवा उपर महानिदेशक
- (iii) संयुक्त सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

(ग) संयुक्त शास्त्रार्थ श्रेणी

- (i) अपर सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (ii) स्थान्त्रिक सेवा महानिदेशक वा उपर काम निर्देशिती
- (iii) संयुक्त सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

III. उच्चाधिकार विशेषज्ञ उप-काउन्स घट

(क) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी

- (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
- (ii) सचिव वा उपर काम निर्देशिती, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण मंत्रालय
- (iii) रक्षास्थ सेवा महानिदेशक वा उपर काम निर्देशिती
- (iv) सचिव स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय द्वारा नाम निर्देशित एक विभागीय अधिकारी

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

(ख) विशेषज्ञ श्रेणी-I

- (i) सचिव/अपर सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (ii) स्थान्त्रिक सेवा महानिदेशक वा उपर काम निर्देशिती
- (iii) संयुक्त सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

(ग) विशेषज्ञ श्रेणी-II (ज्येष्ठ वीरामवार)

- (i) अपर सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (ii) स्थान्त्रिक सेवा महानिदेशक वा उपर काम निर्देशिती
- (iii) संयुक्त सचिव, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

IV. उच्चाधिकार उप-काउन्स घट-ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी

- (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
- (ii) सचिव वा उपर काम निर्देशिती, स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय
- (iii) स्थान्त्रिक सेवा महानिदेशक वा उपर काम निर्देशिती
- (iv) सचिव स्थान्त्रिक और परिवार कल्याण भंगालय द्वारा नाम निर्देशित एक विभागीय अधिकारी

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(ख)	विशेषज्ञ श्रेणी-I		अध्यक्ष
(i)	सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या उसका नाम निर्देशिती		सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ग)	विशेषज्ञ श्रेणी-II ( ज्येष्ठ वेतनमान )		अध्यक्ष
(i)	अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या उसका नाम निर्देशिती		सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
5.	साधारण इयूटी उप काडर घट		
(ख)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		अध्यक्ष
(i)	अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग		सदस्य
(ii)	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उसका नाम निर्देशिती		सदस्य
(iii)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या उसका नाम निर्देशिती		सदस्य
(iv)	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काश निर्देशिती एक विभागीय अधिकारी,		सदस्य
(ग)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी ( अकृत्यशील चयन श्रेणी )		अध्यक्ष
(i)	सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक/स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक		सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ए)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी		अध्यक्ष
(i)	सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक/अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक		सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ङ)	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी		अध्यक्ष
(i)	अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या उसका नाम निर्देशिती		सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
आ.	पुष्टि		
(1)	विशेषज्ञ श्रेणी-I/ श्रेणी-II ( कनिष्ठ/ज्येष्ठ वेतनमान ) ( अध्यक्ष/अध्यायमेंतर/संघ स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप काडर )	अध्यक्ष	
(i)	अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक		सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(2)	चिकित्सा अधिकारी ( जी.डी.एस.ओ. उप काडर )		अध्यक्ष
(i)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य
(ii)	निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कॉम		सदस्य
(iii)	उप सचिव (केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कॉम), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		सदस्य

टिप्पणी: 1. नाम निर्देशिती अधिकारी सामान्यतः उस स्तर से एक स्तर कपर का होना चाहिए जिसके लिए व्यक्तियों वर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है।

2. वर्ती आयोग या विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति से सहयुक्त है तो अध्यक्ष या आयोग के सदस्य से मिल किसी सदस्य वर्ती

अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही अधिक मात्र नहीं होगी तथा समिति के आये से अधिक सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

3. अधिकारियों की पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए आयोग को सहयुक्त नहीं किया जाएगा। उस दशा में अन्य सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करेंगी और उनमें से ज्येष्ठतम् बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की पुष्टि के मामले पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति में अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग और सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्रान्ति: उसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे।

4. पुष्टि ( स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद को छोड़कर) से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहीयों संघ लोक सेवा आयोग के अनुसोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुसोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

## अनुसूची-V

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में समूह “क” हस्ती पर्दों और प्रतिनियुक्त पदों पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुभव शैक्षिक और अन्य अहंताएं अनुभव तथा आयु-सीमा।

## 1. साधारण प्रशासनिक पद

## उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी

क्रम सं.	पदनाम	आयु	शैक्षिक और अन्य अहंताएं
1	2	3	4
1.	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (8000 रु. नियत)	55 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम वा द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुज्ञित प्राप्त अहंताओं से भिन्न है)/तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अहंताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तों को भी पूरी करनी चाहिए। (ii) अनुसूची 6 में डिल्लिखित स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य। (iii) कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव। (iv) व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।
2.	अपर स्वास्थ्य सेवा भागनिदेशक/संस्थाओं और संगठनों/राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रधान (7300-100-7600 रु.)	55 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम वा द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुज्ञित प्राप्त अहंताओं से भिन्न है) तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अहंता के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तों भी पूरी करनी चाहिए। (ii) अनुसूची 6 में डिल्लिखित स्नातकोत्तर अहंता/डिप्लोमा या समतुल्य। (iii) कम से कम 20 वर्ष का वृत्तिक अनुभव, जिसके अन्तर्गत आयुर्विज्ञान शिक्षा पद के लिए किसी मान्यताप्राप्त अध्यापन संस्था में आचार्य के रूप में 8 वर्ष का या नैदानिक लौक स्वास्थ्य पक्ष में समतुल्य अनुभव भी है। (iv) व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।
			टिप्पणी : अपेक्षित ठीक-ठीक शैक्षिक अहंता (ii) और अहंता (iii), भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी।
			II अध्यादन विशेषज्ञ उप-काडर पद
			आवश्यक :
(क)	सुपरटाइम श्रेणी	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम वा द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुज्ञित प्राप्त अहंताओं से भिन्न है)। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अहंता के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तों भी पूरी करनी चाहिए। (ii) अनुसूची 6 के भाग “क” में डिल्लिखित स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (iii) 16 वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसमें से कम 3 वर्ष का अनुभव आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/अध्यापन संस्था से किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। (iv) व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।
1.	5900-200-6700 रु.		

## [भाग II—छण्ड 3(i)]

## (ख) विशेषज्ञ श्रेणी

1. विशेषज्ञ श्रेणी—। आचार्य  
(4500-150-5700 रु.)

2. सहआचार्य (सुपर विशेषज्ञता)  
(3700-125-4700-150-5000 रु.)

3. सह आचार्य (3700-125-4700-  
150-5000 रु.) (सुपर विशेषज्ञताओं  
से भिन्न)

## भारत का राजपत्र : असाधारण

50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों  
के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए  
गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक  
शिथिल की जा सकती है)।

45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों  
के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए  
गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक  
शिथिल की जा सकती है)

45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों  
के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए  
गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक  
शिथिल की जा सकती है)

## आवश्यक :

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956, की प्रथम या  
द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त  
आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञिप्राप्त अर्हताओं से भिन्न है)। तृतीय  
अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को  
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा (13) की  
उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- (ii) अनुसूची 6 के भाग “क” में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता  
में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।
- (iii) 12 वर्ष का चृत्क्रिय अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का  
अनुभव अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि अर्हता के पश्चात् किसी  
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/अध्यापन संस्था में सहआचार्य के रूप में  
सम्बद्ध विशेषज्ञता विषय में होना चाहिए।
- (iv) व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।

## आवश्यक:

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या  
द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त  
आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञिप्राप्त अर्हताओं से भिन्न है)। तृतीय  
अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को  
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) को  
उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- (ii) अनुसूची 6 में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर  
उपाधि या समतुल्य।
- (iii) प्रथम स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त अध्यापन  
संस्था में ज्योष्ठ रेजीडेंट/ट्यूटर/डेमोस्ट्रेटर/रजिस्ट्राइलेक्चरर के रूप  
में सम्बद्ध विशेषज्ञता में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
- टिप्पणी : पांच वर्ष की अवधि की डी.एम./एम. सी.एच. अर्हता के  
धारकों की दशा में, उक्त डी.एम./एम.सी.एच. के अन्तिम भाग में  
की गई ज्योष्ठ स्नातकोत्तर रेजीडेंसी की अवधि की पांच वर्ष के  
अनुभव की अपेक्षा के लिए संगणित किया जाएगा।

## आवश्यक :

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या  
द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त  
आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञिप्राप्त अर्हताओं से भिन्न है)। तृतीय  
अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को  
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) की  
उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- (ii) अनुसूची 6 के भाग “क” में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञता में  
स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।
- (iii) अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि अर्हता के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त  
अध्यापन संस्था में ट्यूटर/डेमोस्ट्रेटर/ज्योष्ठ रेजीडेंट/रजिस्ट्राइलेक्चरर  
के रूप में सम्बद्ध विशेषज्ञता में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव,  
जिसमें से कम से कम दो वर्ष सहायक आचार्य के रूप में हो।

4. सहायक आचार्य (3000-100-3500-125-5000 रु.)

45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

#### आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम चाहितीय अनुसूची के या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञितप्राप्त अर्हताओं से भिन्न है)। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- अनुसूची 6 के भाग "क" में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।

- अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि अर्हता के पश्चात् लेवलग्रेड्यूटीरजिस्ट्राइडेमोस्ट्रेटरज्योष्ठ रेजिडेन्ट के रूप में सम्बद्ध विशेषज्ञता में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

**टिप्पणी :** साधारण इयूटी चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी के पद जैसे किसी अन्य घट पर अध्यापन अनुभव, अध्यापन मर्दों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए विचारणीय नहीं होगा।

### III अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप-काड़ार पद

(क) सुपरटाइम श्रेणी (5900-200-6700 रु.)

50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

#### आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम चाहितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञितप्राप्त अर्हताओं से भिन्न है)। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।

- अनुसूची 6 में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य।

- 16 वर्ष का वृत्तिक अनुभव

- व्यापक व्याख्यातिक और प्रशासनिक अनुभव।

#### आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम चाहितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञितप्राप्त अर्हताओं से भिन्न है)। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।

- अनुसूची 6 में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य।

- (क) 12 वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव सुपर विशेषज्ञता से भिन्न सम्बद्ध विशेषज्ञता में होना चाहिए।

**टिप्पणी 1 :** उप निदेशक (पुर्ववास) के पद के लिए दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

**टिप्पणी 2 :** ज्योष्ठ वक्षीय शाल्य विज्ञानी के पद के लिए हृदय-संबंधीय शाल्य चिकित्सा का और विशेषज्ञता विवृत हृदय शाल्य चिकित्सा का अनुभव वांछनीय अर्हता होगी।

या

(ख) 12 वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसमें से कम से कम 8 वर्ष का अनुभव सुपर विशेषज्ञता से भिन्न सम्बद्ध विशेषज्ञता में होना चाहिए।

**टिप्पणी 1 :** उप निदेशक (पुर्ववास) के पद के लिए दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

**टिप्पणी 2 :** ज्योष्ठ वक्षीय शाल्य विज्ञानी के पद के लिए हृदय-संबंधीय शाल्य चिकित्सा का और विशेषज्ञता विवृत हृदय शाल्य चिकित्सा का अनुभव वांछनीय अर्हता होगी।

2. विशेषज्ञ श्रेणी II (च्येल ब्रेटनमान)  
(सुपर फिल्मशेक्स) (3700-125-4700-  
150-5000 रु.)

45 वर्ष से अधिक वर्षी (सरकारी भौतिकों के हिए  
कैल्पनिक सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के  
अनुसार 5 वर्ष तक शिखित की जा सकती है)

3. विशेषज्ञ श्रेणी III (च्येल ब्रेटनमान)  
(3700-125-4700-150-5000 रु.)  
(सुपर फिल्मशेक्सों से भिन्न)

45 वर्ष से अधिक वर्षी (सरकारी भौतिकों के लिए  
कैल्पनिक सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के  
अनुसार 5 वर्ष तक शिखित की जा सकती है)

4. डिशेप्लॉयेंजी ग्रा (3000-100-35000-  
125-5000 रु.)

45 वर्ष से अधिक वर्षी (सरकारी भौतिकों के लिए  
कैल्पनिक सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के  
अनुसार 5 वर्ष तक शिखित की जा सकती है)

(iv) अधिक अवधिकारिक और प्रशासनिक  
अनुबंध ।

#### अवधिकारक :

(i) भारतीय आमुर्दिजन परिषद अधिनियम, 1956  
की प्रथम आदितीय अनुसूची या इसीय अनुसूची  
के भाग 2 में समिलित भारताभाषा आमुर्दिजन  
अहंकार (जो अनुमतिप्राप्त अहंकारों से भिन्न  
है) कैल्पनिक अनुसूची के भाग 2 में समिलित  
अहंकारों के घटकों को भारतीय आमुर्दिजन परिषद  
अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपचारा (3)  
में अनुदृढ़ रूपे भी पूरी करनी चाहिए।

(ii) अनुसूची 6 में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञ  
में अनुसूचीत उपचारि या अनुदृढ़।

(iii) वहाँ सन्दर्भान्वित उपचारि प्राप्त करने के पश्चात  
सम्बद्ध विशेषज्ञ में 5 वर्ष का अनुबंध।  
दिशावाच : 5 वर्ष की अवधि की भी प्रति वर्ष तीन प्रति  
अहंकारों के घटकों की दृश्य वर्ष, उच्च  
दीप, रक्षा, लैपटॉप के अंतिम थार में भी यह  
ज्येष्ठ स्नानकोत्तर रेजीडेंसी की अधिकृति, 5 वर्ष के  
अनुदृढ़ की अवधि के लिए संरक्षित की जाएगी।

#### अवधिकारक :

(i) भारतीय आमुर्दिजन परिषद अधिनियम, 1956  
की प्रथम आदितीय अनुसूची या इसीय अनुसूची  
के भाग 2 में समिलित भारताभाषा आमुर्दिजन  
अहंकार (जो अनुमतिप्राप्त अहंकारों से भिन्न  
है) कैल्पनिक अनुसूची के भाग 2 में समिलित रैकिक  
अहंकारों के घटकों को भारतीय आमुर्दिजन परिषद  
अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपचारा (3)  
में अनुदृढ़ रूपे भी पूरी करनी चाहिए।

(ii) अनुसूची 6 के भाग "क" भी भाग "ख" में  
उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञ में इनकोत्तर उपचारि  
दिशावाच या अनुदृढ़।

(iii) स्नानकोत्तर उपचारि प्राप्त करने के पश्चात  
सम्बद्ध विशेषज्ञ में 5 वर्ष का अनुबंध या  
इनकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात 7 वर्ष  
का अनुबंध।

#### अवधिकारक :

(i) भारतीय आमुर्दिजन परिषद अधिनियम, 1956  
की प्रथम आदितीय अनुसूची या इसीय अनुसूची  
के भाग 2 में समिलित भारताभाषा आमुर्दिजन  
अहंकार (जो अनुमतिप्राप्त अहंकारों से भिन्न  
है) कैल्पनिक अनुसूची के भाग 2 में समिलित  
अहंकारों के घटकों को भारतीय आमुर्दिजन परिषद  
अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपचारा (3)  
में अनुदृढ़ रूपे भी पूरी करनी चाहिए।

## IV. नियम संकलन विभाग

## (ख) अनुसूची 6 की विभागीय

1. शुद्ध उत्तरी भाषा (4500-125-4700-5700)

50 वर्ष से अधिक वाही (उत्तरी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक विधियाँ जो जा सकती हैं)

## (ख) विदेशी भाषाएँ

1. विदेशी भाषा-I  
(4500-150-5700 रु.)

50 वर्ष से अधिक वाही (उत्तरी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक विधियाँ जो जा सकती हैं)

## 2. विदेशी भाषा-II

- (ज्येष्ठ वेतनमात्र) (3700-125-4700-150-5000 रु.)

45 वर्ष से अधिक वाही (उत्तरी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक विधियाँ जो जा सकती हैं)

(ii) अनुसूची 6 के भाग "क" या भाग "ख" में उल्लिखित सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा या समतुल्य।

(iii) स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् संबद्ध विशेषज्ञता में 3 वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् 5 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी : विदिवासा अधिकारी (वास्त और श्वसन रोग) के पद के लिए एकल रोग और इसमें प्रयोगशालाओं में 3 वर्ष का अनुभव अवश्यित है।

## आवश्यक :

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या दृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुरूपताप्राप्त अहंताओं से भिन्न है)।/दृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अहंताओं के घटनाओं को भारतीय आयुर्विज्ञान विद्यालय अधिनियम, 1956 की वारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्त भी पूरी करनी चाहिए।

(ii) अनुसूची 6 में उल्लिखित लोक स्वास्थ्य के अधिकार लेने में अवश्यित उत्तराधिकार डिप्लोमा या समतुल्य।

(iii) 30 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

(iv) एकाइक व्यायाहारिक और प्रशासनिक अनुभव।

## आवश्यक :

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या दृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुरूपताप्राप्त अहंताओं से भिन्न है)।/दृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अहंताओं के घटनाओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की वारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्त भी पूरी करनी चाहिए।

(ii) अनुसूची 6 के भाग "क" या भाग "ख" में उल्लिखित लोक स्वास्थ्य की सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य।

(iii) 12 वर्ष का वृत्तिक अनुभव विसर्वे से 8 वर्ष लोक स्वास्थ्य से सम्बन्धित किसी उत्तराधिकारी हैसियत में कार्य के होने चाहिए।

(iv) एकाइक व्यायाहारिक और प्रशासनिक अनुभव।

## आवश्यक :

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या दृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुरूपताप्राप्त अहंताओं से भिन्न है)।/दृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अहंताओं के घटनाओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की वारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्त भी पूरी करनी चाहिए।

(ii) अनुसूची 6 के भाग "क" या भाग "ख" में उल्लिखित लोक स्वास्थ्य की सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य।

(iii) स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् संबद्ध विशेषज्ञता में 5 वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् उस विशेषज्ञता में 7 वर्ष जल अनुभव।

3. विशेषज्ञ श्रेणी-II  
(3000-100-3500-150-5000 रु.)

45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित आन्यतात्पर आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञानित्राप्त अर्हताओं से भिन्न है) तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उपलब्ध (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- अनुसूची 6 के भाग "क" या भाग "ख" में उल्लिखित लोक व्यास्था की सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य।
- स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् संबद्ध विशेषज्ञता में 3 वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् उस विशेषज्ञता में 5 वर्ष का अनुभव।

## V. साधारण इयूटी उप काडर घट

### (क) सुपरटाइम श्रेणी

1. सुपरटाइम श्रेणी (5900-200-6700 रु.)

50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित आन्यतात्पर आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञानित्राप्त अर्हताओं से भिन्न है) तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपलब्ध (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- अनुसूची 6 में उल्लिखित स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या समतुल्य।
- 16 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।
- व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।

### (ख) चिकित्सा अधिकारी श्रेणी

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
(3700-125-4700-150-5000 रु.)

50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

आवश्यक :

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित आन्यतात्पर आयुर्विज्ञान अर्हता (जो अनुज्ञानित्राप्त अर्हताओं से भिन्न है) तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपलब्ध (3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।
- कम से कम 10 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

या

अनुसूची IV में उल्लिखित स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा या सुसंगत क्षेत्र में समतुल्य/स्नातकोत्तर उपाधि धारक की दशा में 6 वर्ष का वृत्तिक अनुभव और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों की दशा में 8 वर्ष।

(iii) व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।

**टिप्पणी :** अपेक्षित ठीक-ठीक अर्हताएँ और अनुभव भर्ती के सम्बन्धित किए जायेंगे।

2. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी  
(3000-100-3500-125-  
4500 रु.)

35 वर्ष से अधिक उम्री (अखंतकों देखने के लिए केवल सरकार हारा आई नियम ग्रंथ अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

#### आवश्यक :

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रधम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में समिलित आन्तराष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुप्रियोगात्र अहंताओं से भिन्न है) तृतीय अनुसूची के भाग 2 में समिलित ऐकिक अहंताओं के भारतकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपचारा (3) में अनुबद्ध जारी भी पूरी करनी चाहिए।
- (ii) आयुर्विज्ञान स्नातक के सर्व में रजिस्ट्रेशन के प्रत्यारूप 5 वर्ष का अनुभव।

या

अनुसूची 6 में दर्लित विविध स्नातकोंका उपचार/टिप्पोमा या सुसंगत क्षेत्र में सम्बुद्ध स्नातकोंका उपचार धारक की दशा में 2 वर्ष के अनुभव और स्नातकोंका हिप्लोमा धारक की दशा में 4 वर्ष के अनुभव के साथ।

टिप्पणी : अपेक्षित ठीक-ठीक अहंताएं और अनुभव भर्ती के समय उपदर्शित किए जायेंगे।

3. चिकित्सा अधिकारी  
(2200-75-2800-द. रो.-100-  
4000 रु.)

30 वर्ष से अधिक न हो।

#### आवश्यक :

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रधम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में समिलित आन्तराष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अहंता (जो अनुप्रियोगात्र अहंताओं से भिन्न है) तृतीय अनुसूची के भाग 2 में समिलित अहंताओं के भारतकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपचारा (3) में अनुबद्ध जारी भी पूरी करनी चाहिए।
- (ii) अनिवार्य चक्रानुकरी अन्तः शिक्षात् पूरी की गई होनी चाहिए। जिन अध्यार्थियों ने अक्रान्तकरी अन्तः शिक्षात् पूरी नहीं की है, वे लिखित परीक्षा में डैडने के पात्र होंगे भरन्तु वहि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें नियुक्ति के पूर्व अनिवार्य इन्टर्व्हिओव सामाजिक रूप से पूरी करनी होगी।

टिप्पणी 1: आयु-सीमा अक्षमार्थित करने के लिए नियांवक तारीख भारत में अध्यार्थियों से अव्योनन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, निपुर, सिलिगुडी, अमृ-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के योगी उण्डलंग/अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मीप के अध्यार्थियों के लिए विहित की गई है)

टिप्पणी 2: अहंताएं अन्यथा सुरक्षित अध्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है/हैं, जब विवरण के किसी प्रकार पर संघ लोक सेवा आयोग की वह राय हो कि इनके लिए अवक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अध्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

टिप्पणी 3 : अनुभव संबन्धी अहंता (अहंताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अध्यार्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं, जब विवरण के किसी प्रकार पर संघ लोक सेवा आयोग की वह राय हो कि इनके लिए अवक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अध्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

टिप्पणि 4 : लिखित परीक्षा और त्रृत्यशब्द साक्षात्कार के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भर्ती की दशा में आमु सीमा की गणना करने के लिए नियमिक तारीख उस वर्ष अग्री प्रथम जनवरी होगी जिस वर्ष में परीक्षा ली जाती है।

टिप्पणि 5 : यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई अहंताएं केवल तभी मान्यताप्राप्त होंगी जब वे 11-11-1978 को या उसके पूर्व प्रदान की गई हों।

### अनुसूची-VI

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में समूह "क" पर्टी पर भर्ती के लिए भास्तुताप्राप्त अहंताओं की सूची।

क्रम विषय	भाग-क	भाग-ख
संख्या	अपेक्षित स्नातकोत्तर	डिप्लोमा अहंताएं
भाग (क) अर्थात् निकूल		
1. शरीर रचना विज्ञान	एम. एस. (शरीर रचना विज्ञान) एम. एस. सी. (शरीर रचना विज्ञान) एम. एस. सी. (आनुविज्ञान, शरीर रचना विज्ञान) पी. एच. डी. (शरीर रचना विज्ञान) डी. एस. सी. (शरीर रचना विज्ञान) एम. डी. (शरीर क्रिया विज्ञान) एम. एस. सी. (शरीर क्रिया विज्ञान) पी. एच. डी. (शरीर क्रिया विज्ञान) डी. एस. सी. (शरीर क्रिया विज्ञान) एम. डी. (जीव रसायन विज्ञान) एम. एस. सी. (आनुविज्ञान, जीव रसायन विज्ञान) पी. एच. डी. (जीव रसायन विज्ञान) डी. एस. सी. (जीव रसायन विज्ञान) एम. डी. (जीव भौतिकी) एम. एस. सी. (जीव भौतिकी) एम. डी. (जीव भौतिकी में एक वर्ष का प्रशिक्षण।	
2. शरीर क्रिया विज्ञान		
3. जीव रसायन विज्ञान		
4. जीव भौतिकी		
5. भेषज गुण-विज्ञान	एम. डी. (भेषज गुण विज्ञान) एम. डी. (भेषज गुण विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान) एम. एस. सी. (भेषज गुण विज्ञान) डी. एस. सी. (भेषज गुण विज्ञान)	
6. विकृति विज्ञान	एम. डी. (विकृति विज्ञान) एम. डी. (विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान) डी. सी. पी. एम. एस. सी. (विकृति विज्ञान के साथ जीवाणु विज्ञान) डी. पी. बी. एम. एस. सी. (विकृति विज्ञान) एम. एस. सी. (आनुविज्ञान)(विकृति विज्ञान) पी. एच. डी. (विकृति विज्ञान) डी. एस. सी. (विकृति विज्ञान) विकृति विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	(डी. जीवाणु विज्ञान) डी. पी. बी.
7. जीवाणु विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान	एम. डी. (जीवाणु विज्ञान) एम. डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान) एम. डी. (जीवाणु विज्ञान के विकृति विज्ञान) एम. एस. सी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान) एम. एस. सी. (जीवाणु विज्ञान)	

	(ख) नैदानिक	
1. सामान्य चिकित्सा	एम. डी. (साधारण) एम. डी. (साधारण चिकित्सा) एम. डी. (चिकित्सा और चिकित्सा विज्ञान) एम. आर. सी. पी. आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	
2. न्याय आयुर्विज्ञान	एम. डी. (न्याय आयुर्विज्ञान) आयुर्विज्ञान में एम.डी./एम.आर.सी.पी.तथा न्याय आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा/आयुर्विज्ञान जूरिस्प्रेंस में डिप्लोमा विकृति विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	
3. विकिरण आयुर्विज्ञान	एम. डी. (विकिरण आयुर्विज्ञान)	
4. बाल चिकित्सा विज्ञान	एम. डी. (बाल चिकित्सा)	बाल चिकित्सा में डिप्लोमा डी.सी.एच.
5. नैदानिक रूधिर विज्ञान	आयुर्विज्ञान/विकृति विज्ञान में एम.डी. तथा रूधिर विज्ञान में दीन वर्ष का अनुभव	
6. अद्यमा	एम. डी. (यद्यमा) आयुर्विज्ञान में एम.डी./एम.आर.सी.पी.तथा टी.डी.डी., डी.टी.डी., अथवा टी.टी.सी.डी.	टी.डी.डी. डी.टी.डी. टी.टी.सी.डी.
7. मनोविकार विज्ञान	एम. डी. (मनोविकार विज्ञान) एम. डी. (मनोवैज्ञानिक आयुर्विज्ञान) मनोविकार विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.) डी.पी.एम. का दो वर्ष का पाठ्यक्रम। मनोविकार विज्ञान (एडिन) में दो वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा। मनोविकार विज्ञान में दो वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा, मैकेगिल विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त कनाडा	डी.पी.एम. (एक वर्ष का पाठ्यक्रम)
8. रति रोग	एम. डी. (रति रोग)	
9. त्वचा विज्ञान	एम. डी. (त्वचा विज्ञान और रति रोग)	डी.टी. डी.डी.
10. त्वचा विज्ञान और रति रोग	एम. डी. (त्वचा विज्ञान और रति रोग)	
11. सामान्य शल्य विज्ञान	एम.एस. (शल्य विज्ञान) एम.एस. (सामान्य शल्य विज्ञान)	डी.डी.टी., डी.सी. और डी.
12. आर्थोपेडिक्स	एफ.आर.सी.एस. (आर्थोपेडिक्स) एम.एस. (आर्थो.) एम.सी.एच. (आर्थो.) आर्थो. शल्य विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)	डी. आर्थो.
13. भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास में एम. डी./राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास में डिप्लोमा / एम.डी. (आयुर्विज्ञान)/एम.एस. (शल्य चिकित्सा)/एम.डी. (बाल चिकित्सा विज्ञान)/एम.एस. (आर्थोपेडिक्स) या किसी अन्य समतुल्य अहंता के पश्चात् भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास में दो वर्ष का डिप्लोमा।	

		दोषकर्त्ता य अहंता :
		स्नातकोशर उपाधि/डिप्लोमा के पश्चात् भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्जीवन में दो वर्ष का अनुभव।
14.	नेत्र विज्ञान	एम.एस. (नेत्र विज्ञान) एम.डी. (नेत्र विज्ञान)
15.	कान-नाक-गला (ई.एन.टी.)	नेत्र विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.) एम.एस. (कान-नाक-गला विज्ञान)
16.	प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)
17.	प्रसूति और जात स्मासन्य	एम.डी. एम.आर.सी.ओ.जी. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.) डी.सी.एच./डी.एम.सी.डब्ल्यू. के साथ एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) यू.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.डी. (प्रसूति विज्ञान) एम.डी. एम.आर.सी.ओ.जी. एम.डी. (एस.पी.एस.) एम.डी. (सामुदायिक आयुर्विज्ञान) एम.एन.ए. एम.एस. (एकीकृत एम.सी.एच.) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.) एम.डी. (विकिरण विज्ञान)
18.	विकिरण निदान	डी.एम.आर.डी. या एक वर्ष की अवधि का समतुल्य डिप्लोमा
19.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	डी.एम.आर.डी. (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) डी.एम.आर.डी. या समतुल्य दो वर्ष की अवधि का समतुल्य डिप्लोमा
20.	संवेदनाहरण विज्ञान	एम.डी. (संवेदनाहरण) एम.एस. (संवेदनाहरण) डी.ए. (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) एफ.एफ.ए.आर.सी.एस. (परीक्षा द्वारा) संवेदनाहरण विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (यू.एस.ए.)
21.	बक्स/स्कसन रोग	एम.डी. इक्सन रोग तथा टी.डी.ओ. या राष्ट्रीय डिप्लोमा बोर्ड (स्कसन रोग) एम.डी. (आयुर्विज्ञान) तथा राष्ट्रीय बोर्ड (स्कसन रोग) से डिप्लोमा

## 22. न्यूकलीय आयुर्विज्ञान

एम.एन.ए.एन.एस. (न्यूकलीय आयुर्विज्ञान)\*  
 डॉ.एन.बी. (न्यूकलीय आयुर्विज्ञान)  
 \*केवल सभी मान्यताप्राप्त जब 30.8.92 को या  
 उसके पश्चात् अनुरूप की गई है।

## (ग) अधिरिक्त विशेषज्ञता

1. जठरात्र रोग विज्ञान
2. तंत्रिका विज्ञान
3. अंतःरक्तांतर्की
4. हृदय रोग विज्ञान
5. शृंखल रक्तना विज्ञान
6. प्रारिटक शल्य विज्ञान
7. वृक्षीय शल्य विज्ञान
8. तंत्रिका शल्य विज्ञान
9. बाल शल्य चिकित्सा विज्ञान
10. शून्य रोग विज्ञान
11. हृदय वृक्षीय शल्य विज्ञान
12. जठर आन्त्र शल्य चिकित्सा
13. कैंसर शल्य चिकित्सा

डॉ.एम. (जठरात्र रोग विज्ञान)  
 डॉ.एम. (तंत्रिका विज्ञान) या  
 अन्तरिक्त विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञता  
 बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 डॉ.एम. (अंतःरक्तांतर्की)  
 डॉ.एम. (हृदय रोग विज्ञान)  
 डॉ.एम. (शृंखल रक्तना विज्ञान)  
 एम.सी.एच. (प्रारिटक शल्य विज्ञान) या  
 प्रारिटक शल्य विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 एम.सी.एच. (वृक्षीय शल्य विज्ञान) या  
 अक्षीय शल्य विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 एम.सी.एच. (हंत्रिका शल्य विज्ञान) या  
 तंत्रिका शल्य विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 एम.सी.एच. (बाल शल्य चिकित्सा विज्ञान)  
 एम.सी.एच. (शून्य रोग विज्ञान) या  
 शून्य रोग विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 एम.सी.एच. (हृदय वृक्षीय शल्य विज्ञान) या  
 वृक्षीय विशेषज्ञता बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 एम.सी.एच. (जठर आन्त्र शल्य चिकित्सा)  
 एम.एम. (संयुक्त आन्त्र शल्य चिकित्सा) और उसके साथ  
 जठर आन्त्र शल्य चिकित्सा विभाग में दो अर्थ का विशेष प्रशिक्षण  
 एम.सी.एच. (कैंसर शल्य चिकित्सा/शल्य चिकित्सीय आन्तर्विज्ञान)

## (घ) स्पौद इवाहन

1. भाग्यांकिक और चिरिधक  
 आनुसंहार/व्यापुष्य आयुर्विज्ञान
2. स्पौद श्वास्य

एम.डी. (सामाजिक और गिरेधक आयुर्विज्ञान),  
 एम.डी. (सामुद्रीय आयुर्विज्ञान), सामाजिक और  
 निरोधक आयुर्विज्ञान विशेषज्ञता बोर्ड (चू.एस.ए.)  
 एम.डी. (सामाजिक और चिरिधक आयुर्विज्ञान)  
 एम.डी. (सामुद्रीय आयुर्विज्ञान)  
 आरतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा  
 मान्यताप्राप्त बोर्ड अन्य समतुल्य डिग्री  
 वांछनीय : (केवल 2 लोक स्वरूप्य के लिए)  
 डॉ.पी.एस./डॉ.एस.सी.एस.टू.डी.आई.एच./डॉ.एच.ई.

डॉ.पी.एच.  
 डॉ.आई.एच.  
 एम.पी.एच., डॉ.आई.एम.  
 डॉ.टी.एम. और एच.

द्विष्ठाग : — 1. एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस.,  
 यू.के. के सभी रोगों का द्वारा प्रदान किए गए डिग्री  
 या सहस्यता और अधिसदस्यता तथा यू.के. के रोगों का सभी  
 वी अधिसदस्यता और कनाढा के रोगों का सभी  
 अधिसदस्यता के प्रति निर्देश करते हैं।  
 टिप्पणी : — 2. यू.एस.के. विशेषज्ञता बोर्ड की अहवाजों के धारकों  
 को संवर्धित बोर्ड की समस्त अवैज्ञानिक पूरा करना चाहिए।

**टिप्पणी:** — 3 जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हताओं का संबंध है, वे भी समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की अनुसूचियों में सम्मिलित होनी चाहिए।

**टिप्पणी:** — 4 (i) एम.ए.एम.एस. आयुर्विज्ञान अकादमी सदस्य यह अर्हता यथा पूर्वोक्त मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता के बल तभी होगी जब वह दिल्ली अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अनुदत्त की गई हों न कि जब वह सम्मानिक उपाधि के रूप में प्रदत्त की गई हों।

एम.ए.एम.एस. (शरीर क्रिया विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (साधारण शल्य विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (साधारण आयुर्विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (नेत्र विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (संवेदनाहरण विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (मनोविकार विज्ञान)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की सदस्यता

एम.एन.ए.एम.एस. (शरीर क्रिया विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (साधारण आयुर्विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (साधारण शल्य विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (मनोविकार विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (नेत्र विज्ञान)

ये अर्हताएं यथा पूर्वोक्त मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं के बल तभी होंगी जब वे 3 अप्रैल, 1977 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा संचालित (उक्त तारीख से पूर्व या पश्चात्) परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अनुदत्त की गई हों, न कि जब वे सम्मानिक उपाधि के रूप में प्रदत्त की गई हों।

एम.एन.ए.एम.एस. (विकिरण निदान)

एम.एन.ए.एम.एस. (विकिरण विकिरण विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (स्थास्थ विज्ञान)

**टिप्पणी:** भाग—2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनुदत्त की गई एम.एन.ए.एम.एस. अर्हता, आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों/अध्यापन संस्थाओं से अध्यापकों की नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित स्नातकोत्तर अर्हता समझी जाएगी, परन्तु किसी भारतीय विश्वविद्यालय की एम.डी. या एम.एस. डिग्री के बिना एम.एन.ए.एम.एस. अर्हता के धारक को परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त और आवश्यक मूल्यांकन के पश्चात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा सम्मानिक रूप से स्वीकृत किसी संस्था में एक वर्ष का अनुसंधान अनुभव प्राप्त करना होगा।

**टिप्पणी 4 (ii):** भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. नं. 11015/12/78-एम.ई. (पालिती) तारीख 29-8-78 के निबंधनों के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई अर्हताएं के बल तभी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होंगी जब वे 11.11.1978 को या उसके पूर्व प्रदान की गई हों।

**टिप्पणी:** 5 ऐसी समतुल्य स्नातकोत्तर अर्हताओं, जो समय-समय पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाएं, के धारकों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके पास संबद्ध विषय में अपेक्षित स्नातकोत्तर अर्हता है।

**टिप्पणी:** 6 पांच वर्ष की अवधि की डी.एम.सी.एच.डी. उपाधि धारकों को छोड़कर, सुपर विशेषज्ञताओं (एम.सी.एच.डी.एम.) अर्हताओं के धारक की दशा में उसे एम.डी. (साधारण आयुर्विज्ञान) या एस. (साधारण शल्य विज्ञान) या ऐसी समतुल्य अर्हता भी, जो उक्त परिषद् द्वारा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान परीक्षा पर अपनी सिफारिशों में विहित की गई हो, प्राप्त करनी चाहिए।

2. 1998 के पश्चात् जनरल शल्य चिकित्सा की सुपर विशेषज्ञता अध्यापन नियुक्तियों के लिए अन्यथियों के पास, संबंधित विशेषज्ञता में एमडी/एसएस के पश्चात् एम.सी.एच. जैसी कोई स्नातकोत्तर उपाधि अवश्यक होनी चाहिए या ऐसी कोई अन्य सम्बूल्य अहंता होनी चाहिए जो परिषद् समय-समय पर अनुमोदित करें। विद्यमान प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में संबद्ध विशेषज्ञता में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण, पूर्वांकित अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए उस तारीख से पर्याप्त अहंताएं नहीं रहेंगी।

**टिप्पणी:** 7 यह सूची विस्तृत सूची नहीं है। नियंत्रक प्राधिकारी को संबंधी लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् भाग "क", भाग "ख" भाग "ग" या भाग "घ" में अन्य अहंताएं समनुदेशित करने की शक्ति होगी।

[सं. ए.-12018/1/90-के.स्वा.से. 5(खण्ड-II)]  
राम चन्द्र शर्मा, अजर सचिव

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1996

G.S.R. 460 (E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Health Service Rules 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Health Service Rules, 1996.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—
  - (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
  - (b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare;
  - (c) "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group "A" posts of the Service;
  - (d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II;
  - (e) "Government" means the Government of India;
  - (f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I;
  - (g) "Public Health Qualification" means a recognised public health qualification specified in any of the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) as amended from time to time;
  - (h) "Schedule" means a Schedule to these rules;
  - (i) "Service" means the Central Health Service;
  - (j) "Sub Cadre" means any of the four streams of the Service, namely, General Duty, Public Health, Non teaching Specialist and Teaching Specialist, as the case may be;

#### 3. Composition of the Service—

All duty posts, included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group, "A" and the grades, scales of pay, non-practising allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule—I.

#### 4. Authorised strength of the Service—

(1) The authorised strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule—II.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary addition to, or reduction in, the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

(6) Five per cent of the total number of posts of the Senior Medical Officers and Chief Medical Officers, shall be included in the Service as "training reserve".

(7) Non Functional Selection Grade :

In the General Duty sub-cadre, 15% of Senior Duty Posts (starting from) in the grade of Senior Medical Officer (Rs. 3000-4500) and Chief Medical Officer (Rs. 3700-5000) shall be converted to the post of Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) (Rs. 4500-5700).

**Note :** Senior Duty Posts for the purpose of this sub-rule means the number of persons holding the posts of Senior Medical Officer and Chief Medical Officer and the number of posts of Senior Administrative Grade in General Duty Medical Officers Sub-Cadre.

(8) (i) The promotion to the floating post of Senior Administrative Grade shall be made on the basis of a common eligibility list of Specialist (Grade-I)/Professor, to be drawn separately for Teaching Specialist sub-cadre and Non-Teaching Specialist sub-cadre covering all officers in the respective sub-cadres without regard to Specialities, and promotion to Higher Administrative Grade shall be made on the basis of combined eligibility list of Senior Administrative Grade Officers belonging to all the four sub-cadres of Central Health Service.

(ii) The common eligibility list referred to in clause (i) shall be prepared with reference to the dates of completion of the prescribed qualifying years of service by the officers in the respective grade :

Provided that the seniority of persons who have been appointed on the same date shall be determined as under :—

- (a) Where the eligible officers were considered by the same Departmental Promotion Committee the seniority shall be based on the order of merit;
- (b) If there is no order of merit, the seniority shall be on the basis of seniority in the feeder grade;
- (c) If there is no seniority in the feeder grade or it is not possible to determine the seniority even in the feeder grade, the length of regular service in the feeder grade shall be the guiding factor for determining the seniority;
- (d) If length of service in the feeder grade is also the same, regular service in the next lower grade shall be taken into account, failing which, the date of birth.

**5. Members of the Service**

(1) The following persons shall be members of the Service, namely—

- (a) Persons appointed under sub-rule (5) of rule 4.
- (b) Persons appointed to duty posts under rule 6, and
- (c) Persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person, appointed under clause (b) of Sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of Sub-rule (1) shall, be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.

**6. Initial Constitution of the Service**

(1) All the officers appointed under the Central Health Service Rule, 1982 on or before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of officers referred to in Sub-rule (i) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

**7. Future Maintenance of Service**

(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades as the case may be, for appointment or promotion to the posts in the respective Sub-cadres and specialities within the Sub-cadre concerned, included in the Service shall be as specified in Schedule-III.

(3) (i) The Departmental promotions shall be confined to officers of the respective Sub-cadres.

(ii) The departmental promotions to higher posts in the respective Sub-cadres shall be made on the basis of selection on merit/seniority-cum-fitness, as the case may be, from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, in the respective Sub-cadres on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as at Schedule-IV.

(4) If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade of the respective Sub-cadre or in the respective speciality of the Sub-cadre, as the case may be, shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have completed their probation period, if prescribed.

- (5) (i) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority-cum fitness), the selection of officers for maintenance of the service shall be made in consultation with the Commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule IV.
- (ii) (a) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment to various duty posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.
- (b) The direct recruitment to posts belonging to Super-Specialities specified in Schedule VI for which minimum essential qualification is Doctor of Medicine (D. M.) or Magister Chirurgie (M. Ch.) or equivalent shall be made in the scale of Rs. 3700-5000 in the Teaching and Non-teaching Specialist Sub-cadres.
- (iii) The recognised post-graduate qualifications shall be as specified in Schedule VI.

**Note :** (i) The post of Medical Officer, Senior Medical Officer and Chief Medical Officer in the General Duty Medical Officer Sub-cadre, the posts of Assistant Professor, Associate Professor, Professor in the Teaching Sub-cadre and the post of Specialist Grade II (Junior Scale), Specialist Grade II (Senior Scale) and Specialist Grade I in the Non-Teaching and Public Health Sub-cadres, are interchangeable within respective Sub-cadres for the purpose of promotion.

(ii) The promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies.

#### 8. Filling of Duty Posts by Transfer on Deputation (including short term contract) :

(1) Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill not more than twenty duty posts in all, in the grades of Medical Officer/Senior Medical Officer in General Duty Sub-Cadre and Specialist Grade II (Junior Scale) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre and Public Health Sub-Cadre by transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government (including Ministries of Railways and Defence)/State Governments/Union Territories and by Short Term Contract of suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, semi-government organisations, universities or recognised Research Institutions.

(2) The period of deputation/contract shall be for a period not exceeding three years, which may, in special circumstances be extended upto five years, as the Government may think fit.

#### 9. Seniority :

(1) The relative seniority of members of the service appointed to a grade in the respective sub-cadres or in the respective speciality of the sub-cadre of the Service, as the case may be, at the time of initial constitution of the service under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of officers recruited to the Service other than those appointed under rule 6 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (5) of rule 4 shall be fixed in the manner provided therein.

(4) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

#### 10. Probation :

(1) Every officer appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year except in the case of Medical Officer appointed in the grade of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/- who shall be on probation for a period of 2 years :

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf :

Provided further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant order of the Government.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior

to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

#### 11. Appointment to the Service.

All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

#### 12. Posting.

Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

#### 13. Liability to serve Defence services or posts connected with Defence.

Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such officer shall not—

(a) be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of his appointment to the service or from the date of his joining the service,

(b) Ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 45 years.

#### 14. Private practice prohibited.

(1) Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

(2) Such persons shall, however, be entitled to a Non-practising allowance at the rates specified in Schedule-I.

#### 15. Pension and other conditions of service.

(1) The benefit of added years of service as admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 shall be applicable to the members of the Service.

(2) The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

#### 16. Disqualification.

No person, shall be eligible for appointment to the Service:

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

#### 17. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

#### 18. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

#### 19. Interpretation.

If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

**SCHEDULE—I**
**Grade, Scales of Pay and Non-Practising Allowance etc. of Group "A" posts included in the Central Health Service**  
**I—Grades and Scales of Pay**

S. No.	Grade	Scale of Pay
1 (a)	<b>Higher Administrative Grade</b>	
	(i) Director General of Health Services	Rs. 8000/-
	(ii) Additional Director General of Health Services/Heads of Institutions & Organisations/ National Programmes.	Rs. 7300-100-7600
(b)	<b>Supertime Grade</b>	
	Other Posts	Rs. 5900-200-6700
2.	<b>Specialist Grade</b>	
	(a) Specialist Grade-I	
	(i) Teaching	Rs. 4500-150-5700
	(ii) Non Teaching	Rs. 4500-150-5700
	(iii) Public Health	Rs. 4500-150-5700
	(b) Specialist Grade-II	
	(i) Teaching :	
	(a) Associate Professor	Rs. 3700-125-4700-150-5000
	(b) Assistant Professor	Rs. 3000-100-3500-125-5000
	(ii) Non-Teaching	
	(a) Specialist Grade-II (Senior Scale)	Rs. 3700-125-4700-150-5000
	(b) Specialist Grade-II (Junior Scale)	Rs. 3000-100-3500-125-5000
	(iii) Public Health	
	(a) Specialist Grade-II (Senior Scale)	Rs. 3700-125-4700-150-5000
	(b) Specialist Grade-II (Junior Scale)	Rs. 3000-100-3500-125-5000
3.	<b>Medical Officers Grade :</b>	
	(i) Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade)	Rs. 4500-150-5700
	(ii) Chief Medical Officer	Rs. 3700-125-4700-150-5000
	(iii) Senior Medical Officer	Rs. 3000-100-3500-125-4500
	(iv) Medical Officer	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000

**II-Rates of Non-Practising Allowance**

Pay Range	Rates of N.P.A.
Between Rs. 2200/- and Rs. 2999/-	Rs. 600/- p.m.
Between Rs. 3000/- and Rs. 3699/-	Rs. 850/- p.m.
Between Rs. 3700/- and Rs. 5999/-	Rs. 950/- p.m.
Rs. 6000/- and above	Rs. 1000/- p.m.

**III-Post Graduate Allowance**

A medical graduate appointed to the post of Medical Officer or Senior Medical Officers or Chief Medical Officer

including Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), for which possession of a recognised post-graduate qualification is not essential, shall be given over and above the pay admissible in the relevant scale, Post-Graduate allowance of Rs. 100/- per month or Rs. 200/- per month, as the case may be, for possessing recognised Post-Graduate Diploma (s) or Post-graduate degree respectively specified in schedule-VI to these rules or under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). The allowance shall be payable only at the rate of Rs. 200/- per month to an officer who possesses both recognised Post-Graduate Diploma and Degree.

**SCHEDULE—II****Authorised strength of Central Health Service****DUTY POSTS****Higher Administrative Grade**

S. No.	Designation	No. of Posts
<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>		
1.	Director General of Health Service	01
2.	Additional Director General of Health Services/Heads of Institutions and Organisations/National Programmes.	12
3.	Supertime Grade Other Posts (Rs. 5900-200-6700/-) :	
	<b>(I) TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE</b> floating Posts (Director-Professor/Dean/Director/ Medical Superintendent/Additional Medical Superintendent/Principal)	74
	<b>(II) NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE</b> Floating Posts (Consultants/Director/Medical Superintendent/ Additional Medical Superintendent,) 88	
	<b>(III) PUBLIC HEALTH SUB-CADRE</b>	
Sl. No.	Designation	No. of Posts
1	2	3
1.	Deputy Commissioner (MCH), Department of Family Welfare.	01
2.	Director, National Malaria, Eradication Programme, Delhi	01
3.	Director, Central Leprosy Training Institute, Chengalpattu (T.N.)	01
4.	Director, National Institute of Communicable Diseases, Delhi	01
5.	Deputy Director General of Health Services (Leprosy).	01
6.	Deputy Director General of Health Services (D.D.)	01

1	2	3	1	2	3
7.	Additional Director (PH), National Institute of Communicable Diseases	01	24.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Jaipur	01
8.	Additional Director (Tech.), National AIDS Control Organisation	01	25.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Madras	01
	<b>TOTAL</b>	<b>08</b>	26.	Additional Director, C.G.H.S., Delhi	05
			27.	Additional Director, C.G.H.S. (MSD), Delhi	01
			28.	Medical Superintendent, Maternity and Gynaecology Hospital, R.K. Puram	01
			29.	Medical Superintendent, Police Hospital, New Delhi	01
(IV)	<b>GENERAL DUTY SUB-CADRE</b>		30.	Medical Superintendent, Maternity Centre, Srinivaspuri, New Delhi	01
1.	Deputy Commissioner, Department of Family Welfare	02	31.	Medical Superintendent, Maternity Centre, Kalkaji, New Delhi	01
2.	Deputy Director General of Health Services (Rural Health Division).	01	32.	Senior Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme, Delhi	15
3.	Deputy Director General of Health Services (Planning)	01	33.	Medical Superintendent, Police Hospital Kingsway Camp, New Delhi	01
4.	Director, Central Government Health Scheme	01	34.	Additional Director, C.G.H.S., Allahabad	01
5.	Director of Health Services, Delhi Administration, Delhi	01	35.	Additional Director, C.G.H.S., Ahmedabad	01
6.	Deputy Director General of Health Services (L.M.E.)	01	36.	Additional Director, C.G.H.S., Bangalore	01
	<b>DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES (HQ)</b>		37.	Additional Director, C.G.H.S., Bombay	01
7.	Additional Deputy Director General (G)	01	38.	Additional Director, C.G.H.S., Calcutta	01
8.	Additional Deputy Director General (RHS)	01	39.	Additional Director, C.G.H.S., Hyderabad	01
9.	Additional Deputy Director General (NCD)	01	40.	Additional Director, C.G.H.S., Kanpur	01
10.	Additional Deputy Director General (M)	01	41.	Additional Director, C.G.H.S., Lucknow	01
11.	Additional Deputy Director General (HQ-CGHS)	01	42.	Additional Director, C.G.H.S., Madras	01
12.	Director, Central Bureau of Health Intelligence	01	43.	Additional Director, C.G.H.S., Meerut	01
13.	Director, Central Health Education Bureau	01	44.	Additional Director, C.G.H.S., Nagpur	01
14.	Additional Medical Superintendent Dr. R.M.L. Hospital, New Delhi	03	45.	Additional Director, C.G.H.S., Jaipur	01
15.	Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi	04	46.	Additional Director, C.G.H.S., Pune	01
16.	Additional Medical Superintendent, L.H.M.C. & Smt. S.K. Hospital, New Delhi	03	47.	Additional Director, C.G.H.S., Patna	01
17.	Additional Medical Superintendent, Kalavati Saran Children Hospital, New Delhi	03	48.	Senior Chief Medical Officer, C.G.H.S., Bombay	05
18.	Additional Medical Superintendent, J.I.P.M.E.R., Pondicherry	03	49.	Medical Superintendent, G.B. Pant Hospital, New Delhi	01
19.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Chandigarh	01	50.	Additional Medical Superintendent, Guru Teg Bahadur Hospital, Shahdara, Delhi	01
20.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Pune	01	51.	Medical Superintendent, Din Dayal Upadhyaya Hospital, Delhi	01
21.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Bhopal	01			
22.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Calcutta	01			
23.	Senior Regional Director, R/o for H. & F.W., Bangalore	01			

1	2	3	4.	(i) TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor/Associate Professor/Professor)	
			S. No.	Designation/Speciality	No. of Posts
<b>MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE</b>					
(a) LADY HARDING MEDICAL COLLEGE & SMT. SUCHETA KRIPLANI HOSPITAL, NEW DELHI					
52.	Additional Director of Health Services (Dte. of H.S.) Delhi Administration	01	1.	Anatomy	07
53.	Medical Officer-in-Charge (Zones)	04	2.	Pharmacology	04
54.	Medical Officer-in-Charge (F.W.)	01	3.	Pathology	07
55.	Medical Superintendent, Sanjay Gandhi Memorial Hospital, New Delhi	01	4.	Microbiology	07
56.	Additional Medical Superintendent, L.N.J.P.N. Hospital, New Delhi	01	5.	Surgery	11
57.	Medical Officer-in-Charge (Casualty, Emergency, Transport Services) L.N.J.P.N. Hospital, New Delhi.	01	6.	Medicine	15
58.	Medical Officer-in-Charge (OPD), L.N.J.P.N. Hospital, New Delhi	01	7.	Radio-diagnosis	04
59.	Director of Health Services, Andaman and Nicobar Administration	01	8.	Anaesthesiology	09
60.	Medical Superintendent, G.B.Pant Hospital, Port Blair	01	9.	Obstetrics & Gynaecology	14
61.	Medical Superintendent, Civil Hospital, Car Nicobar.	01	10.	Paediatrics	10
62.	Medical Officer-in-Charge, North & Middle Andaman, Mayabunder.	01	11.	Preventive & Social Medicine	11
63.	Senior Chief Medical Officer, C.G.H.S., Calcutta	05	12.	Physiology	06
64.	Senior Chief Medical Officer, C.G.H.S., Madras	02	13.	Bio-Chemistry	03
65.	Senior Chief Medical Officer, C.G.H.S., Hyderabad	02	14.	Forensic Medicine	04
66.	Additional Director, N.I.C.D., Delhi	01	15.	Ophthalmology	04
67.	Additional Director, N.M.E.P., Delhi	01	16.	Skin & V.D.	03
68.	Additional Director, C.R.I., Kasauli	01	17.	E.N.T.	04
69.	Additional Director, C.L.T.R.I., Chengalpattu	01	18.	Orthopaedic Surgery	04
70.	Additional Director, A.I.I.H. & P.H., Calcutta	02	19.	Paediatric Surgery	02
71.	Additional Serologist & Chemical Examiner (S. & C.E.), Calcutta	01	20.	Psychiatry	02
72.	Additional Director, National Tuberculosis Institute, Bangalore	01	Total		131
73.	Additional Director, A.I.I.P.M.E.R., Calcutta	02			
74.	Additional Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi	01	<b>(b) DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES</b>		
<b>MINISTRY OF COMMUNICATIONS, DEPARTMENT OF POSTS</b>					
75.	Deputy Director General (Medical), (HQ), Delhi	01	S.No.	Name of the Post	No. of Posts
76.	Deputy Director General (Medical), Northern Region, Lucknow	01	1	2	3
77.	Deputy Director General (Medical), Eastern Region, Calcutta	01	1.	Assistant Director General of Health Services (Medical Education)	01
78.	Deputy Director General (Medical), South Central Region, Hyderabad	01	(c)	ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE AND PUBLIC HEALTH, CALCUTTA	
		Total	1.	Preventive & Social Medicine	02
		123	2.	Public Health	17
			3.	Micro-biology	04
			Total		23
<b>(d) JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, PONDICHERRY</b>					
			1.	Physiology	07
			2.	Pathology	08
			3.	Micro-biology	06
			4.	Medicine	10
			5.	Surgery	10
			6.	Anaesthesiology	06
			7.	Ophthalmology	05
			8.	E.N.T.	03
			9.	Radio diagnosis	04

[ भाग II—जगत क(1) ]		भारत की राजधानी : अस्ताधरम्		41	
1	2	3	1	2	3
10.	Preventive & Social Medicine	05	17.	Skin & V.D.	03
11.	Obstetrics & Gynaecology	10	18.	Forensic Medicine	07
12.	Pharmacology	06	19.	Radio Therapy	06
13.	Orthopaedics Surgery	05	20.	Paediatric Surgery	02
14.	Anatomy	07	21.	Psychiatry	01
15.	Paediatrics	05			Total 200
16.	T.B. & Chest Diseases	04	(b)	G.B. PANT HOSPITAL, NEW DELHI	
17.	Skin & V.D.	04	1.	Neurology	05
18.	Thoracic Surgery	02	2.	Cardio Surgery	05
19.	Oncology	03	3.	Neuro Surgery	05
20.	Urology	03	4.	Psychiatry	05
21.	Hematology	03	5.	Cardiology	05
22.	Forensic Medicine	03	6.	Anaesthesia	05
23.	Bio-Chemistry	03	7.	Gastro-enterology	05
24.	Radio-Therapy	02	8.	Microbiology	05
25.	Endocrinology & Metabolism	02	9.	Radio-diagnosis	05
26.	Neurology	02	10.	Pathology	05
27.	Plastic Surgery	02	11.	Bio-Chemistry	05
28.	Cardsio-Thoracic Surgery	02	12.	Surgery	02
29.	Public Health	01	13.	Gastro-Intestinal Surgery	01
		Total 133			
(c)	CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY, RANCHI.				Total 62
1.	Psychiatry	07	(c)	CURU TEG BAHADUR HOSPITAL-CUM- MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI	
2.	Neurology	03	1.	Medicine	05
3.	Radio-diagnosis	01	2.	Surgery	05
4.	Anaesthesia	01	3.	Gynaecology & Obstetrics	05
		Total 10	4.	Paediatrics	04
(d)	CENTRAL INSTITUTE OF ORTHOPAEDICS, SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI.		5.	Anaesthesia	06
1.	Orthopaedics	04	6.	Radio diagnosis	04
2.	Pathology	03	7.	E.N.T.	02
3.	Radio-diagnosis	01	8.	Neurology	03
		Total 08	9.	Radio Therapy	02
(e)	I.I.N.C.T. OF DELHI		10.	Ophthalmology	02
	MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI.		11.	Orthopaedics	02
1.	Anatomy	11	12.	Dermatology	01
2.	Physiology	11	13.	Neuro Surgery	01
3.	Bio-Chemistry	10	14.	Ortho Surgery	01
4.	Pathology	12	15.	Skin & V.D.	01
5.	Pharmacology	08	16.	Pathology	03
6.	Preventive & Social Medicine	13	17.	Psychiatry	01
7.	Surgery	15			Total 47
8.	Microbiology	10	(f)	NON TEACHING STAFF-CABRE (Specialist Grade-I/Grade-II)	
9.	Medicine	13		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	
10.	Obstetrics & Gynaecology	13	(g)	DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES	
11.	Radio-diagnosis	09	1.	Assistant Director General of Health Services (Ophthalmology)	01
12.	Ophthalmology	13	2.	Assistant Director General of Health Services (T.B.)	01
13.	Paediatrics	13	3.	T.B. Officer	01
14.	Anaesthesia	12			Total 03
15.	E.N.T.	08			
16.	Orthopaedic Surgery	07			

1	2	3	1	2	3
(b) SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI			7.	Psychiatrist	01
1. Medical Specialist	15		8.	Anaesthetist	08
2. Physician (Nuclear Medicine)	01		9.	Pathologist	07
3. Haematologist	03		10.	Bacteriologist	05
4. Surgeon	12		11.	E.N.T. Specialist	02
5. Radiologist	11		12.	Dermatologist/Skin Specialist	02
6. Eye-Specialist	01		13.	Neuro Surgeon	04
7. Paediatrician	10		14.	Endocrinologist	02
8. Anæsthetist	23		15.	Gastroenterologist	02
9. Obstetrician & Gynaecologist	14		16.	Nephrologist	02
10. Cancer Surgeon	02		17.	Neurologist	02
11. Orthopaedic Surgeon	07		18.	Paediatric Surgeon	02
12. Cardio Thoracic/Thoracic Surgeon	02		19.	Urologist	02
13. E.N.T. Specialist	03		20.	Plastic Surgeon	05
14. Urologist	02		21.	Cardiologist/Physician (Cardiology)	07
15. Psychiatrist	05			Total	96
16. Radio Therapist	03		(d) CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAULI		
17. Neurologist	01		1. Deputy Director/Assistant Director (Microbiology)		15
18. Microbiologist/Bacteriologist/Sexologist	09			Total	15
19. Dermatologist/Skin Specialist	01		(e) CENTRAL LEPROSY TRAINING RESEARCH INSTITUTE, CHENGALEPATTU		
20. Specialist in Radio-diagnosis	10		1. Assistant Director (Micro/Bacteriologist)		03
21. Specialist in Forensic Medicine	03		2. Medical Specialist		02
22. Physician (Chest/Respiratory Diseases)	03		3. Ortho-Surgeon/Asstt. Director (Ortho)		03
23. Endocrinologist	02		4. Pathologist/Asstt. Director (Pathology)		02
24. Gastroenterologist	02			Total	10
25. Nephrologist	02		(f) NATIONAL INSTITUTE OF COMMUNI- CABLE DISEASES, NEW DELHI		
26. Assistant Director (Physical Medicine & Rehabilitation)	06		1. Assistant Director (Micro/Bacteriologist)		12
27. Cardiologist/Physician (Cardiology)	07			Total	12
28. Plastic Surgeon	20		(g) NATIONAL TUBERCULOSIS INSTITUTE, BANGALORE		
29. Paediatric Surgeon	03		1. Director (in T.B. Speciality)		01
30. Neuro Surgeon	04		2. T.B. Specialist		03
	Total	187		Total	04
(c) DR. RĀM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI			(h) B.C.G. VACCINE LABORATORY, GUINDY		
1. Medical Specialist	14		1. Director (Microbiology)		01
2. Surgeon	07			Total	01
3. Paediatrician	03			Total	01
4. Specialist in Radio-diagnosis	11				
5. Orthopaedic Surgeon	05				
6. Obstetrician and Gynaecologist	03				

[ भाग II—खण्ड 3(i) ]		भारत का रजिस्टर : अस्पाथारण		43	
1	2	3	1	2	3
(i)	ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION, BOMBAY		3.	Obstetrician & Gynaecologist	01
1.	Deputy Director (Rehabilitation)	02	4.	Eye Specialist	01
2.	Specialist in Radio-diagnosis	01	5.	Paediatrician	01
3.	Pathologist	01	6.	Pathologist	01
4.	Anaesthetist	01	7.	Specialist in Radio-diagnosis	01
		<u>Total</u>	8.	Medical Specialist	01
		05	9.	Surgeon	01
(j)(a)	KALAWATI SARAN CHILDRENS HOSPITAL, NEW DELHI			<u>Total</u>	09
1.	Physical Medicine & Rehabilitation	01	(n)	DEEN DAYAL UPADHAYAY HOSPITAL, DELHI	
2.	Paediatrics	02	1.	Medical Specialist	03
3.	Bacteriologist	01	2.	Surgeon	03
4.	Radio-diagnosis	01	3.	E.N.T. Specialist	01
		<u>Total</u>	4.	Specialist in Radio-diagnosis	02
		05	5.	Obstetrician & Gynaecologist	04
(j)(b)	LADY HARDING MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI		6.	Eye Specialist	01
1.	Psychiatrist	02	7.	Ortho Specialist	03
		<u>Total</u>	8.	Paediatrician	02
		02	9.	Pathologist	02
(k)	LOK NAYAK JAI PRAKASH NARAIN HOSPITAL, NEW DELHI		10.	Anaesthetist	03
1.	Plastic Surgeon	04			
2.	Anaesthetist	06			
3.	Surgeon	03	(o)	<u>Total</u>	24
4.	Bio-Chemist	01	DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI		
5.	Orthopaedic Surgeon	01	1.	Medical Specialist/Physician	07
6.	E.N.T. Surgeon	01	2.	Paediatrician	03
7.	Paediatrician	01	3.	Obstetrician & Gynaecologist	07
8.	Obstetrics & Gynaecologist	01	4.	E.N.T. Specialist	12
9.	Specialist in Radio-diagnosis	01	5.	Eye Specialist	12
10.	Pathologist	02	6.	Skin & V.D./Dermatologist/Skin Specialist	07
11.	Bacteriologist/Microbiologist/Serologist	02			
12.	Medical Specialist	02			
		<u>Total</u>		<u>Total</u>	53
		25	(p)	N.C. JOSHI HOSPITAL, DELHI	
(l)	CIVIL HOSPITAL, DELHI		1.	Orthopaedic Surgeon	01
1.	Medical Superintendent-cum-Medico Legal Expert	01			
		<u>Total</u>		<u>Total</u>	01
		01	(q)	RAO TULARAM MEMORIAL HOSPITAL, JAFFARPUR, DELHI	
(m)	S.G.M. HOSPITAL, MANGOLPURI		1.	Medical Specialist	01
1.	Anaesthetist	01	2.	Surgeon	01
2.	E.N.T. Specialist	01	3.	Obstetrician & Gynaecologist	01
			4.	Paediatrician	01

1	2	3	1	2	3
5.	Eye Specialist	01	2.	Orthopaedic Surgeon	01
6.	E.N.T. Specialist	01	3.	Medical Specialist	01
7.	Pathologist	01	4.	E.N.T. Specialist	01
8.	Specialist in Radio-diagnosis	01	5.	Obstetrician & Gynaecologist	01
9.	Orthopaedic Surgeon	01	6.	Eye Specialist	01
	Total	09	7.	Radio diagnosis	01
	Total	09	8.	Surgeon	01
(r)	LAL BAHADUR SHASTRI MEMORIAL HOSPITAL, DELHI				
1.	E.N.T. Specialist	01	(v)	G.B. PANT HOSPITAL, NEW DELHI	
2.	Obstetrician & Gynaecologist	01	1.	Medical Specialist	01
3.	Medical Specialist	01			
4.	Eye Specialist	01	(w)	ARUNACHAL PRADESH ADMINISTRATION	
5.	Ortho Surgeon	01	1.	Surgeon	01
6.	Paediatrician	01	2.	Eye Specialist	01
7.	Pathologist	01	3.	Superintendent, T.B. Hospital, Margherita	01
8.	Specialist in Radio-diagnosis	01	4.	Medical Specialist	01
9.	Surgeon	01			
	Total	09			
(s)	BABU JAGJIVAN RAM HOSPITAL, DELHI		(x)	LAKSHADWEEP ADMINISTRATION	
1.	E.N.T. Specialist	01	1.	Paediatrician	01
2.	Obstetrician & Gynaecologist	01	2.	Medical Specialist	01
3.	Medical Specialist	01	3.	Surgeon	02
4.	Eye Specialist	01	4.	Obstetrician & Gynaecologist	02
5.	Ortho Surgeon	01	5.	Anaesthetist	02
6.	Paediatrician	01	6.	Pathologist	01
7.	Pathologist	01	7.	Eye Specialist	01
8.	Specialist in Radio-diagnosis	01			
9.	Surgeon	01			
	Total	09			
(t)	H.M.D. SHAHADARA				
1.	Anaesthetist	01	(z)	CENTRAL HOSPITAL, KARMA	
2.	Psychiatrist	09	1.	Medical Specialist	01
3.	Specialist in Radio-diagnosis	01	2.	Surgeon	01
	Total	09	3.	Obstetrician & Gynaecologist	01
(u)	POLICE HOSPITAL, DELHI ADMINISTRATION, DELHI				
1.	Pathologist/Medical Supdt.-cum-Medico Legal Expert	02			
	Total	11			
(aa)	CENTRAL HOSPITAL, DEBANDORA, GOA				
1.	Surgeon	01			
2.	Obstetrician & Gynaecologist	01			
	Total	03			

[भाग II—खण्ड 3(i)]

## भारत का राजपत्र : असाधारण

1	2	3	1	2	3
3.	Anaesthetist	01	(ii)	ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE & PUBLIC HEALTH, CALCUTTA	
4.	Medical Specialist	01	1.	Microbiologist/Asstt. Director (Micro)	01
	Total	04		Total	01
(bb)	CENTRAL HOSPITAL, JODA, ORISSA		(kk)	REGIONAL LEPROSY TRAINING INSTITUTE, ASKĀ	
1.	Surgeon	01	1.	Surgeon	01
	Total	01	2.	Pathologist	01
(cc)	CENTRAL HOSPITAL, BARAJAMDA, ORISSA			Total	02
1.	Medical Specialist	01	(ll)	REGIONAL LEPROSY TRAINING & RESEARCH INSTITUTE, RAIPUR	
	Total	01	1.	Assistant Director (Bacteriology)	01
(dd)	DADRA NAGAR HAVELI ADMINISTRATION		2.	Assistant Director (Pathology)	01
1.	Medical Specialist	01	3.	Assistant Director (Orthopaedic Surgery)	01
2.	Anaesthetist	01		Total	03
3.	Obstetrician & Gynaecologist	01	(mm)	ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION	
4.	Eye Specialist	01	1.	Anaesthetist	02
5.	Paediatrician	01	2.	E.N.T. Specialist	01
6.	Surgeon	01	3.	Obst. & Gynaecologist	04
	Total	06	4.	Medical Specialist	03
(ee)	C.I.S.F., HYDERABAD		5.	Ophthalmologist/Eye Specialist	02
1.	Obstetrician & Gynaecologist	01	6.	Ortho Surgeon	01
	Total	01	7.	Paediatrician	02
(ff)	D.N.K. PROJECT		8.	Pathologist	01
1.	Surgeon	01	9.	Radio-diagnosis	01
2.	Obstetrician & Gynaecologist	01	10.	Dermatologist/Skin Specialist	01
	Total	02	11.	Surgeon	02
(gg)	OFFICE OF THE SEROLOGIST & CHEMICAL EXAMINER, CALCUTTA		12.	T.B. Specialist	01
1.	Bacteriologist	02	13.	Psychiatrist	01
2.	Pathologist	01		Total	22
	Total	03	(nn)	CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME, DELHI	
(hh)	CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY, RANCHI		1.	Medical Specialist (One for Vice President Sectt. & 3 for VVIPs under ERR Scheme).	20
1.	Pathologist	01	2.	Surgeon	07
	Total	01	3.	Eye Specialist	10
(ii)	R.L.T.R.I., GOURIPUR		4.	E.N.T. Specialist	07
1.	Assistant Director (Orthopaedic Surgery)	01	5.	Obstetrician & Gynaecologist	12
2.	Assistant Director (Pathologist)	01	6.	Dermatologist/Skin Specialist	06
3.	Assistant Director (Bacteriology)	01	7.	Paediatrician	05
	Total	03	8.	Psychiatrist	04
(oo)	C.G.H.S., CALCUTTA		9.	Specialist in Radio-diagnosis	03
1.	Medical Specialist	01	10.	Pathologist	05

1	2	3	1	2	3
2.	Obstetrician & Gynaecologist	01	(nu)	C.G.H.S., ALLAHABAD	
3.	Eye Specialist	01	1.	Obstetrician & Gynaecologist	01
4.	Pathologist	01	2.	Medical Specialist	02
5.	Radio-diagnosis	01	3.	Pathologist	02
6.	E.N.T. Specialist	01	4.	Specialist in Radio-diagnosis	01
7.	Paediatrician	01	5.	Paediatrician	01
8.	Dermatologist/Skin Specialist	01	6.	Dermatologist/Skin Specialist	01
	Total	08			
(pp)	C.G.H.S., BOMBAY			Total	08
1.	Medical Specialist	02	(yy)	C.G.H.S., HYDERABAD	
2.	Obstetrician & Gynaecologist	02	1.	Medical Specialist	02
3.	Specialist in Radio-diagnosis	02	2.	Pathologist	02
4.	Eye Specialist	01	3.	Obstetrician & Gynaecologist	02
5.	Pathologist	02	4.	Specialist in Radio-diagnosis	01
6.	Paediatrician	02	5.	E.N.T. Specialist	01
7.	Dermatologist/Skin Specialist	02	6.	Eye Specialist	01
	Total	13	7.	Paediatric	01
(qq)	C.G.H.S., MEERUT		8.	Dermatologist/Skin Specialist	01
1.	Medical Specialist	01			
	Total	01		Total	11
(rr)	C.G.H.S., NAGPUR		(ww)	C.G.H.S., BANGALORE	
1.	Eye Specialist	01	1.	Medical Specialist	01
2.	Medical Specialist	02	2.	Pathologist	01
3.	Specialist in Radio-diagnosis	01	3.	Specialist in Radio-diagnosis	01
4.	Obstetrician & Gynaecologist	01	4.	Obstetrician & Gynaecologist	01
5.	E.N.T. Specialist	01	5.	E.N.T. Specialist	01
6.	Paediatrician	01	6.	Eye Specialist	01
7.	Dermatologist/Skin Specialist	01	7.	Paediatric	01
	Total	08	8.	Dermatologist/Skin Specialist	01
(ss)	C.G.H.S., NAGPUR				
1.	Obstetrician & Gynaecologist	01	(xx)	C.G.H.S., PATNA	
2.	Medical Specialist	02	1.	Medical Specialist	01
3.	Pathologist	01	2.	Pathologist	01
4.	Specialist in Radio-diagnosis	01	3.	E.N.T. Specialist	01
	Total	05	4.	Obstetrician & Gynaecologist	01
(tt)	C.G.H.S., MADRAS		5.	Eye Specialist	01
1.	E.N.T. Specialist	01	6.	Paediatrician	01
2.	Medical Specialist	03	7.	Specialist in Radio-diagnosis	01
3.	Ophthalmologist/Eye Specialist	01	8.	Dermatologist/Skin Specialist	01
4.	Obstetrician & Gynaecologist	02			
5.	Paediatrics	02		Total	08
6.	Pathologist	02	(yy)	C.G.H.S., LUCKNOW	
7.	Specialist in Radio-diagnosis	02	1.	Medical Specialist	02
8.	Dermatologist/Skin Specialist	02	2.	Pathologist	02
	Total	15	3.	Dermatologist/Skin Specialist	01
			4.	E.N.T. Specialist	01

1	2	3	1	2	3
5.	Obstetrician & Gynaecologist	01	3.	Deputy Assistant Director General of Health Services (P.H. & CHEB)	01
6.	Eye Specialist	01	4.	Deputy Assistant Director General of Health Services (EPI)	01
7.	Paediatrician	01	5.	Deputy Assistant Director General of Health Services (International Health)	01
8.	Specialist in Radio-diagnosis	01	6.	Deputy Assistant Director General of Health Services (Leprosy)	01
	Total	10			Total 06
(zz)	C.G.H.S., AHMEDABAD		(c)	CENTRAL LEPROSY TRAINING RESEARCH INSTITUTE, CHENGALPATTU	
1.	Medical Specialist	01	1.	Deputy Director (Epidemiology)	01
2.	Pathologist	01	2.	Assistant Director (Epidemiology)	01
	Total	02	3.	Assistant Director (Epidemiology & Evaluation)	01
(aaa)	C.G.H.S., PUNE				Total 03
1.	Medical Specialist	01	(d)	REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, RAIPUR (M.P.)	
2.	Pathologist	01	1.	Director	01
3.	Obstetrician & Gynaecologist	01	2.	Assistant Director (Epidemiology)	01
4.	Eye Specialist	01			Total 02
5.	Paediatrician	01	(e)	REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, GOURIPUR (W.B.)	
6.	Specialist in Radio-diagnosis	01	1.	Director	01
	Total	06	2.	Assistant Director (Epidemiology)	01
(bbb)	C.G.H.S., JAIPUR				Total 02
1.	Medical Specialist	01	(f)	REGIONAL LEPROSY TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE, ASKA	
2.	Pathologist	01	1.	Director	01
3.	Specialist in Radio-diagnosis	01			Total 01
4.	Obstetrician & Gynaecologist	01	(g)	NATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICABLE DISEASES, DELHI	
5.	Eye Specialist	01	1.	Deputy Director (Epidemiology)	01
6.	E.N.T. Specialist	01	2.	Deputy Director (Filaria)	01
7.	Paediatrician	01	3.	Assistant Directors	15
8.	Dermatologist/Skin Specialist	01			
	Total	08			
	(III) PUBLIC HEALTH SUB-CADRE				
	SPECIALIST GRADE I/SPECIALIST GRADE II				
	(A) DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE				
(a)	FAMILY WELFARE TRAINING & RESEARCH, BOMBAY				
1.	Director	01	(h)	NATIONAL TUBERCULOSIS INSTITUTE, BANGALORE	
2.	Deputy Director	01	1.	Epidemiologist	01
3.	Assistant Commissioner (Immunization)	01			Total 17
	Total	03			
(b)	DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES				
1.	Assistant Director General of Health Services (Leprosy)	01			
2.	Assistant Director General of Health Services (International Health)	01			Total 01

1	2	3	1	2	3
(i)	NATIONAL MALARIA ERADICATION PROGRAMME, DELHI		(g)	DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI	
1.	Deputy Director (Epidemiology)	01	1.	Deputy Director (Immunization)	02
2.	Regional Director (H. & F. W.) (Ahmedabad, Hyderabad, Bhubaneshwar, Lucknow)	04		Total	02
3.	Assistant Director	05			
	Total	10	(h)	LAKSHADWEEP ADMINISTRATION	
(j)	RURAL HEALTH TRAINING CENTRE, DELHI		1.	Deputy Director	01
1.	Officer-in-Charge	01	2.	District Immunization Officer	01
	Total	01		Total	02
(k)	ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE & PUBLIC HEALTH, CALCUTTA		(s)	SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	
1.	Medical Officer (Industrial Health)	01	1.	Epidemiologist	01
2.	Medical Officer (Nutrition)	01		Total	01
3.	Epidemiologist	01	(l)	ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION	
4.	Medical Officer (School Health)	01	1.	Deputy Director of Health Services	01
5.	Medical Officer (Domiciliary Service)	01		Total	01
6.	Field Epidemiologist	01	(m)	NATIONAL AIDS CONTROL ORGANISATION (M/O H. & F.W.)	
7.	Rural Field Medical Officer (Study in Population Control)	01	1.	Deputy Director (Blood Safety)	01
	Total	07	2.	Assistant Director	02
(l)	AIRPORT/PORT HEALTH ORGANISATION, BOMBAY			Total	03
1.	Port Health Officer, Bombay	01	(IV)	GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER SUB-CADRE	
2.	Airport Health Officer, Bombay	01		(Medical Officer/Senior Medical Officer/Chief Medical Officer)	
	Total	02	(A)	DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE	
(m)	AIRPORT/PORT HEALTH ORGANISATION, CALCUTTA		1.	Assistant Commissioner	10
1.	Port Health Officer, Calcutta	01	2.	C.M.O. (Regional Office for H&FW) (Imphal, Jaipur, Srinagar, Shillong, Trivandrum, Madras)	07
2.	Airport Health Officer	01	3.	Regional Health Officers (MO/SMO/CMO) :	
	Total	02		Ahmedabad	01
(n)	PORT HEALTH ORGANISATION, MADRAS			Bangalore	01
1.	Port Health Officer	01		Bhopal	01
	Total	01		Bhubaneshwar	02
(o)	AIRPORT HEALTH ORGANISATION, DELHI			Calcutta	01
1.	Airport Health Officer	01		Chandigarh	01
	Total	01		Hyderabad	02
(p)	GOVT. OF N.C.T. OF DELHI			Imphal	02
1.	Deputy Director of Health Services	02		Jaipur	01
	Total	02		Lucknow	01

[भाग II—खण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र : असाधारण			49
1	2	3	1	2	3
	Madras	01	(W)	F.W.T.R.C., BOMBAY	04
	Patna	02	(X)	RAJ KUMARI AMRIT KAUR COLLEGE OF NURSING, DELHI	01
	Pune	01	(Y)	N.M.E.P., DELHI	01
	Shillong	02	(Z-1)	MINISTRY OF COMMUNICATIONS	
	Trivandrum	01		DEPARTMENT OF POSTS	128
		Total	37	(Z-2)	MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
(B)	DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES				
1.	Central Health Education Bureau (CMO/SMO/MO)	05	1.	India Security Press, Nasik	10
2.	D.G.H.S. (HQ), (CMO/SMO/MO)	08	2.	Security Press, Hoshangabad	02
(C)	SAFDARJUNG HOSPITAL	73	3.	India Govt. Mint, Bombay	02
(D)	DR. R.M.L. HOSPITAL	63	4.	Bank Note Press, Dewas	07
(E)	R.L.T.R.I. RAIPUR	06	5.	India Govt. Mint, Calcutta	03
(F)	R.L.T.R.I. ASKA	03	6.	Security Press, Hyderabad	01
(G)	N.T.I., BANGALORE	04	7.	India Govt. Mint, Hyderabad	01
(H)	C.L.T.R.I., CHENGALPATTU	11	8.	Govt. Opium & Alcoholic Works, Neemach	01
(I)	R.L.T.R.I., GOURIPUR	—	9.	Currency Note Press, Nasik	01
1.	Dy. Director (CMO)	01	10.	India Govt. Mint, Noida	01
2.	CMO/SMO/MO	06	(AA)	MINISTRY OF LABOUR	
(J)	A.I.I.P.M. & R., BOMBAY	02	1.	Allahabad Region	14
(K)	C.I.P., RANCHI	—	2.	Bangalore Region	38
1.	DY. Medical Superintendent (CMO)	01	3.	Bhilware Region	25
2.	CMO/SMO/MO	06	4.	Bhubaneshwar Region	27
(L)	L.H.M.C., NEW DELHI	04	5.	Calcutta Region	14
(M)	KALAWATI SARAN CHILDREN'S HOSPITAL NEW DELHI	04	6.	Goa Region	06
			7.	Hyderabad Region	29
(N)	JIPMER, PONDICHERRY	23	8.	Jabalpur Region	42
(O)	ALL INDIA INSTITUTE OF HYGIENE & PUBLIC HEALTH, CALCUTTA	04	9.	Karma Region	40
(P)	NICD, DELHI	06	10.	Nagpur Region	15
(Q)	SEROLOGICAL & CHEMICAL EXAMINER GOVT. OF INDIA, CALCUTTA	05	11.	FTI, Bangalore	15
(R)	R.H.T.C., NAJAFGARH	15	12.	ATI, Bombay	01
(S)	C.R.I., KASauli	04	13.	ATI, Calcutta	01
(T)	LAKSHADWEEP ADMINISTRATION	15	14.	ATI, Hyderabad	01
(U)	ANDAMANN & NICOBAR ADMINISTRA- TION	22	(BB)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS	
(V)	DADRA NAGAR HAVELI	02	1.	Assam Rifles	290
			2.	C.I.S.F.	16
			3.	Intelligence Bureau	07
			(CC)	MINISTRY OF CIVIL AVIATION	01
			(DD)	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	13

1	2	3	1	2	3
(EE)	MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE	02	2.	CGHS, ALLAHABAD	42
(FF)	LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION, MUSSORIE	02	3.	CGHS, AHMEDABAD	17
(GG)	SARDAR VALLABHNAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY, HYDERABAD	02	4.	CGHS, BANGALORE	55
(HH)	DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY SURVEYOR GENL. OF INDIA, DEHRADUN	11	5.	CGHS, BOMBAY	115
(II)	MINISTRY OF TRANSPORT	02	6.	CGHS, CALCUTTA	88
(JJ)	AIRPORT/PORT HEALTH ORGANISATIONS		7.	CGHS, MADRAS	68
1.	PHO, BOMBAY	10	8.	CGHS, HYDERABAD	68
2.	APHO, BOMBAY	06	9.	CGHS, KANPUR	52
3.	PHO, CALCUTTA	09	10.	CGHS, MEERUT	29
4.	PHO, MADRAS	04	11.	CGHS, JAIPUR	24
5.	APHO, THIRUCHIRAPALLI	02	12.	CGHS, NAGPUR	43
6.	PHO, COCHIN	02	13.	CGHS, PATNA	24
7.	PHO, VISHAKAPATNAM	02	14.	CGHS, BHUBANESWAR	05
8.	PHO, KANDLA	02	15.	CGHS, JABALPUR	15
9.	PHO, MARMAGOA	01	16.	CGHS, RANCHI	06
10.	APHO, DELHI	06	17.	CGHS, LUCKNOW	31
11.	APHO, CALCUTTA	04	18.	CGHS, PUNE	34
12.	ATTARI BORDER ORGANISATION, APHO, AMRITSAR	02	(MM)	B.C.G. VACCINE LABORATORY, GUINDY	01
(KK)	GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI (C.M.O./S.M.O./M.O.)	704	(NN)	LADY READING HEALTH SCHOOL, DELHI	01
(LL)	CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME		(OO)	CENTRAL WATER & POWER RESEARCH STATION, PUNE	01
1.	CGHS, DELHI	678	(PP)	D.M.S. DELHI	01

NOTE : THE NUMBER OF POSTS WILL BE SUBJECT TO VARIATION DEPENDING ON WORK LOAD.

**SCHEDULE-III**

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades for appointment or promotion of officers to Group 'A' duty posts in the Central Health Service.

Sl. No.	Name of the post	Method of recruitment for promotion	Field of Selection and Minimum qualifying service
1	2	3	4
<b>I. Higher Administrative Grade</b> (General Administrative Posts) :			
(i) Director General of Health Services			
		By Promotion failing which by direct recruitment	Additional Director General of Health Services/Heads of Institutions & Organisations/National Programmes in the Scales of Rs. 7300-7600 with two years' regular service in the grade, failing which with five years' combined regular service in the grades of Rs. 7300-7600 and Rs. 5900-7600.
	(ii) Additional Director General of Health Services/Heads of Instts. and Orgns./National Programmes, in the grade of Rs. 7300-7600	By Promotion failing which by direct recruitment.	Supertime Grade Officers with three years regular service in the grade of Rs. 5900-6700, failing which Supertime Grade Officers in the scale of Rs. 5900-6700 with twelve years regular service after being appointed or as the case may be, promoted to the level of Specialist Grade-I, Professor or Chief Medical Officer (NFSG).
<b>II. Teaching Specialist Sub-cader Posts</b>			
(a) Supertime Grade			
	Senior Administrative Grade	By promotion, failing which by direct recruitment.	Specialist Grade-I with three years' regular service in the Grade of Rs. 4500-5700, irrespective of whether the said service was performed in the Functional Grade or Non-functional selection Grade of Rs. 4500-5700 failing which 13 years combined regular service in the grade of Rs. 4500-5700, Rs. 3700-5000 and Rs. 3000-5000 or 11 years combined regular service in the grades of Rs. 4500-5700 and Rs. 3700-5000 for those recruited directly in the grade of Rs. 3700-5000, in the same Sub-cadre on the basis of a common eligibility list of Teaching Specialists belonging to all Specialities, as prescribed under Rule 4 (8)(2).
(b) Specialist Grade			
	(1) Specialist Grade-I Professor	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	Associate Professors with 6 years' regular service in the grade or Associate Professor with 8 years' combined regular service in the grades of Associate Professor and Assistant Professor and minimum two years regular service in the grade of Associate Professor.
	Note :		All Associate Professors in NFSG (Rs. 4500-5700) shall be designated as Professors from I-12-91 and they shall en masse be placed below the existing Professors for the purpose of preparing eligibility lists for consideration for promotion to SAG level posts (Rs. 5900-6700).
	(2) Specialist Grade-II		
	(i) Associate Professor (Super-Specialities)	By Direct recruitment	See Schedule-V for qualification, experience and age limits etc.,
	(ii) Associate Professor (Other than Super-Specialities)	By Promotion on the basis of seniority-cum-fitness	Assistant Professor with two years' regular service in the grade

1	2	3	4
		without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	
<b>III. Non Teaching Specialist sub-cadre Posts</b>			
(a) Supertime Grade			
Senior Administrative Grade	By promotion, failing which by direct recruitment.	Specialist Grade-I with three years' regular Service in the grade of Rs. 4500-5700 irrespective of whether the said service was performed in the Functional grade or Non-Functional Selection Grade of Rs. 4500-5700 failing which 13 years combined regular service in the grades of Rs. 4500-5700, Rs. 3700-5000 and Rs. 3000-5000 or 11 years combined regular service in the grades of Rs. 4500-5700 and Rs. 3700-5000 for those recruited directly in the grade of Rs. 3700-5000, in the same Sub-cadre on the basis of common eligibility list of Non-Teaching Specialist belonging to all Specialities, as prescribed under Rule 4 (8)(2).	
(b) Specialist Grade			
(i) Specialist Grade-I	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies failing which by direct recruitment	Specialist Grade-II in the Non-Teaching Specialist Sub-cadre with six years' regular service in the Specialist Grade-II (Senior Scale-Rs. 3700-5000) or with a total of eight years combined regular service in the grades of Rs. 3700-5000 and Rs. 3000-5000 and minimum two years' regular service in the grade of Rs. 3700-5000. Note: All Specialist Grade-II Officers (Non-Teaching Sub-cadre) in the Non-Functional Selection (Rs. 4500-5700) shall be designated as Specialist Grade-I with effect from 1-12-91 and they shall en masse be placed below the existing Specialist Grade-I Officers for the purpose of preparing eligibility lists for consideration for promotion to SAG level posts (Rs. 5900-6700).	
2. Specialist Grade-II			
(i) Specialist Grade-II (Senior Scale) (Super-Specialities)	By direct recruitment	See Schedule-V for qualification, experience and age limits etc.	
(ii) Specialist Grade-II (Senior Scale) (Other than Super Specialities)	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	Specialist Grade-II Officers in the Scale of Rs. 3000-5000 in Non-Teaching Specialist Sub-Cadre with two years' regular service in the Grade.	
(iii) Specialist Grade-II (Junior Scale)	By direct recruitment	See Schedule-V for qualifications, experience and age limits etc.	
<b>IV. Public Health Sub-Cadre Posts</b>			
(a) Supertime Grade			
Senior Administrative Grade	By promotion failing which by direct recruitment	Specialist Grade-I in the Public Health Specialist Sub-Cadre with 3 years' regular service in the grade of Rs. 4500-5700 irrespective of whether the said service was performed in the Functional Grade or Non-Functional Selection Grade of Rs. 4500-5700 failing which 13 years combined regular service in the grades of	

1	2	3	4
			Rs. 4500-5700, Rs. 3700-5000 and Rs. 3000-5000 in the Sub-cadre on the basis of a common eligibility list of Public Health Specialists as prescribed under Rule 4 (8)(2).
	(b) Specialist Grade		
(i)	Specialist Grade-I	100% by promotion on Non-selection basis without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	Specialist Grade-II in Public Health Sub-cadre with six years regular Service in the Specialist Grade-II (Sr. scale of Rs. 3700-5000) or with a total of eight years' combined regular service in the grades of Rs. 3000-5000 and Rs. 3700-5000 and minimum two years regular service in the grade of Rs. 3700-5000. Note : All Specialist Grade-II Officers (Public Health Sub-cadre) in the Non-Functional Selection Grade (Rs. 4500-5700) shall be designated as Specialist Grade-I with effect from 1-12-91 and they shall en masse be placed below the existing Specialist Grade-I Officers for the purpose of preparing eligibility lists for consideration for promotion to SAG level posts (Rs. 5900-6700).
	(2) Specialist Grade-II		
(i)	Specialist Grade-II (Senior Scale)	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	Specialist Grade-II Officers in the scale of Rs. 3000-5000 in Public Health Sub-cadre with two years' regular service in the grade.
(ii)	Specialist Grade-II (Junior Scale)	By direct recruitment.	See Schedule-V for qualifications, experience and age limits etc.
	General Duty Sub-cadre posts		
	(a) Super-time Grade		
	Senior Administrative Grade	By promotion failing which by direct recruitment.	Officers holding posts in the grade of Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) with 3 years' service in the grade, or with 17 years' total regular service in Group "A" posts.
	(b) Medical Officer Grade		
(1)	Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade)	By promotion as per the criterion and procedure prescribed by Govt. from time to time for this purpose.	Chief Medical Officer (Rs. 3700-5000) with 14 years' regular service in group "A" posts.
(2)	Chief Medical Officer	By promotion on the basis of Seniority-cum-fitness without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	Senior Medical Officer in the General Duty sub-cadre with six years' regular service in the grade or on completion of 10 years combined regular service as Medical Officer and Senior Medical Officer of which at least 2 years shall be as Senior Medical Officer.
(3)	Senior Medical Officer	By promotion on the basis of Seniority cum-fitness service in the grade without linkage to vacancies failing which by direct recruitment.	Medical Officer in the General Duty Sub-cadre with four years regular grade.
(4)	Medical Officer	By direct recruitment on the basis of a written examination.	See Schedule-V for qualifications, experience and age limits etc.

2

3

4

tion to be conducted by the Union Public Service Commission to be followed by an interview or selection by the Union Public Service Commission by interview only in accordance with age limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission.

The exact method of recruitment to be followed shall be decided by the Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion.

**NOTE :**

1. Promotions to posts above the level of Rs. 4500-5700 in all the four sub-cadres shall be on "Selection" basis. For all the remaining posts promotion shall be on "Non-Selection" basis.
2. The departmental promotions shall be confined to officers of the respective Sub-cadres.

**SCHEDULE-IV**

Group 'A' Departmental Promotion Committees for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' posts in the Central Health Service.

**A. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE  
Higher Administrative Grade****I. GENERAL ADMINISTRATIVE POSTS :**

- |   |          |
|---|----------|
| (i) Director General of Health Services   | Chairman |
| (ii) Chairman/Member, Union Public Service Commission   | Member   |
| (iii) Secretary, M/O Health and Family Welfare  |          |
| (2) Additional Director General of Health Services/Heads of Institutions & Organisations/National Programmes. |          |
| (i) Chairman/Members, Union Public Service Commission   | Chairman |
| (ii) Secretary, M/O Health and Family Welfare   | Member   |
| (iii) Director General of Health Services   | Member   |

**II. TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE POSTS  
(SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE)**

- |   |          |
|---|----------|
| (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission                                    | Chairman |
| (ii) Secretary or his nominee, M/O Health and Family Welfare                            | Member   |
| (iii) Director General of Health Services or his nominee                                | Member   |
| (iv) One Departmental Officer nominated by the Secretary, M/O Health and Family Welfare | Member   |

**(B) SPECIALIST GRADE-I (Professor)**

- |   |          |
|---|----------|
| (i) Secretary/Additional Secretary, M/O Health and Family Welfare                       | Chairman |
| (ii) Director General of Health Services/Additional Director General of Health Services | Member   |
| (iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare                            | Member   |

<b>(c) ASSOCIATE PROFESSOR GRADE</b>		
(i) Additional Secretary, M/O Health and Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee		Member
(iii) Joint Secretary, M/O Health and Family Welfare		Member
<b>III. NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE POSTS</b>		
(a) Senior Administrative Grade		
(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission		Chairman
(ii) Secretary of his nominee, M/o Health and Family Welfare		Member
(iii) Director General of Health Services or his nominee		Member
(iv) One Departmental Officer nominated by the Secretary, M/o Health and Family Welfare		Member
(b) Specialist Grade-I		
(i) Secretary/Additional Secretary, M/o Health and Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee		Member
(iii) Joint Secretary, M/o Health & Family Welfare		Member
(e) Specialist Grade-II (Senior Scale)		
(i) Additional Secretary, M/o Health and Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Service or his nominee		Member
(iii) Joint Secretary, M/o Health and Family Welfare		Member
<b>IV. PUBLIC HEALTH SUB-CADRE POSTS</b>		
(a) Senior Administrative Grade		
(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission		Chairman
(ii) Secretary or his nominee, M/o Health and Family Welfare		Member
(iii) Director General of Health Services or his nominee		Member
(iv) One Departmental Officer nominated by the Secretary, M/o Health and Family Welfare		Member
(b) SPECIALIST GRADE-I		
(i) Secretary/Additional Secretary, M/o Health and Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee		Member
(iii) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare		Member
(c) SPECIALIST GRADE-II (SENIOR SCALE)		
(i) Additional Secretary, M/o Health and Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Service or his nominee		Member
(iii) Joint Secretary, M/o Health and Family Welfare		Member
<b>V. GENERAL DUTY SUB-CADRE POSTS</b>		
(b) Senior Administrative Grade		
(i) Chairman/Member, Union Public Service Commission		Chairman
(ii) Secretary or his nominee, M/o Health and Family Welfare		Member
(iii) Director General of Health Service or his nominee		Member
(iv) One Departmental Officer nominated by the Secretary M/o Health and Family Welfare		Member
(c) CHIEF MEDICAL OFFICER (NON-FUNCTIONAL SELECTION GRADE)		
(i) Secretary/Additional Secretary M/o Health & Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Services/Additional General of Health Services.		Member
(iii) Joint Secretary, M/o Health & Family Welfare.		Member
(d) CHIEF MEDICAL OFFICER		
(i) Secretary/Additional Secretary M/o Health and Family Welfare		Chairman
(ii) Director General of Health Services/Additional Director General of Health Services		Member

(iii) Joint Secretary, M/o Health and Family Welfare	Member
<b>(e) SENIOR MEDICAL OFFICER</b>	
(i) Additional Secretary, M/o Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director General of Health Services or his nominee	Member
(iii) Joint Secretary, M/o Health and Family Welfare	Member
<b>B. CONFIRMATION</b>	
<b>(1) SPECIALIST GRADE-I/GRADE-II (JUNIOR/SENIOR SCALE)</b>	
<b>(TEACHING/NON-TEACHING/PUBLIC HEALTH SPECIALIST SUB-CADRE)</b>	
(i) Additional Secretary (Health), M/o Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Additional Director General of Health Services	Member
(iii) Joint Secretary, M/o Health and Family Welfare	Member
<b>(2) MEDICAL OFFICER (G.D.M.O. SUB-CADRE)</b>	
(i) Joint Secretary, M/o Health and Family Welfare	Chairman
(ii) Director, Central Government Health Scheme	Member
(iii) Deputy Secretary (CHS), M/o Health and Family Welfare	Member

**NOTE : 1.** The nominee officer should be normally at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

**NOTE : 2.** The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission, where the Commission is associated in the DPC or the Chairman of the DPC, shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the members of the Committee had attended the meetings.

**NOTE : 3** The Commission shall not be associated while considering cases of confirmation of officers. In that case, other members will constitute the Group 'A' Departmental Promotion Committee and the senior-most among them will preside over the meeting.

The Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering the case of confirmation of the Director General of Health Services shall consist of the Chairman/Member of the Union Public Service Commission and the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare as Chairman and Member respectively.

**NOTE : 4** The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to Confirmation (except for the post of Director General of Health Services) shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however these are not approved by the UPSC, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

#### SCHEDULE-V

Minimum education and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Group 'A' duty posts in the Central Health Service.

##### 1. General Administrative Posts

Higher Administrative Grade		Age	Educational and other qualifications Required
Sl. No.	Name of Post	3	4
1.	Director General of Health services (Rs. 3000/-fixed)	Not exceeding 55 years	Essential : (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the

1	2	3	4
			Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.
2.	Additional Director General of Health Services/heads of Institutions and Organs / National Programmes. (Rs. 7300-100- 7600)	Not exceeding 55 years	<p>(i) Post-graduate degree/diploma mentioned in Schedule VI or equivalent.</p> <p>(ii) At least 20 years standing in the profession.</p> <p>(iii) Extensive practical administrative experience.</p> <p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate degree/diploma mentioned in Schedule VI or equivalent.</p> <p>(iii) At least 20 years standing in the profession including 8 years experience as a Professor in any recognised Teaching Institution for the Medical Education post or an equivalent experience in Clinical/Public Health side.</p> <p>(iv) Extensive practical and administrative experience.</p> <p>Note : The exact Educational Qualification (ii) and (iii) required shall be specified at the time of recruitment.</p>

## II. Teaching Specialist Sub-Cadre Posts

(a)	Supertier Grade		
1.	Rs. 3900-200-6700	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate degree mentioned in Section 'A' of Schedule VI or equivalent.</p> <p>(iii) 16 years experience in the profession out of which at least 3 years' experience should be as a Professor in any Deptt. of Medical College/Teaching Institution.</p> <p>(iv) Extensive practical and administrative experience.</p>

1	2	3	4
<b>(b) Specialist Grade:</b>			
1.	Specialist Grade-I Professor (Rs. 4300-150-5700)	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post-graduate degree in the concerned speciality mentioned in Section-A of Schedule-VI or equivalent.</li> <li>(iii) 12 years standing in the Profession out of which at least 4 years experience should be in the concerned speciality as Associate Professor in a Medical College/Teaching Institution after the requisite Post-graduate degree qualification.</li> <li>(iv) Extensive practical and administrative experience.</li> </ul> <p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post-graduate degree in the concerned speciality mentioned in Schedule-VI or equivalent.</li> <li>(iii) At least five years experience as Sr. Resident/Tutor/Demonstrator/Registrar/Lecturer in the concerned speciality in a recognised teaching institution after the first Post-graduate qualification.</li> </ul>
2.	Associate Professor (Super-Specialities) (Rs. 3700-125-4700-150-5000)	Not exceeding 45 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.)	
3.	Associate Professor (Rs. 3700-125-4700-150-5000) (Other than Super Specialities)	Not exceeding 45 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post-graduate degree in the concerned speciality mentioned in Section-A of Schedule-VI or equivalent.</li> <li>(iii) At least 5 years experience in the concerned speciality as Tutor/Demonstrator/Senior Resident/Registrar/Lecturer in a recognised teaching institution, after the requisite Post-graduate degree qualification out of which atleast 2 years shall be as Assistant Professor.</li> </ul>

Note : In the case of holders of D.M./M.CH. qualification of five years' duration, the period of senior PG residency rendered in the last Part of the said D.M./M. CH. shall be counted towards requirement of five years' experience.

	२	३	४
४.	Assistant Professor (Rs. 3000-100-3500-125-5000)	Not exceeding 45 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate degree in the concerned speciality mentioned in Section-A of Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) At least 3 years teaching experience in the concerned speciality as Lecturer/Tutor/ Registrar/Demonstrator/Senior Resident after the requisite Post-graduate degree qualification.</p>

Note : Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer/Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.

### III. Non-Teaching Specialist Sub-cadre posts

(a)	Supertime Grade (Rs. 5900-200-6700)	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualifications included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) 16 years standing in the profession.</p> <p>(iv) Extensive practical and administrative experience.</p>
-----	-------------------------------------	---	--

#### (b) Specialist Grade :

१.	Specialist Grade-I (Rs. 4500-150-5700)	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions Schedule issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii)(a) 12 years' standing in the profession, out of which 5 years experience in the Super-specialities.</p>
----	--	---	--

OR

- (b) 12 years' standing in the profession out of which at least 8 years' experience in the concerned speciality other than Super-specialities

1	2	3	4
			<p>Note 1 : Ten years' standing in the profession for the post of Deputy Director (Rehabilitation).</p> <p>Note 2 : For the post of Senior Thoracic Surgeon, experience of Cardiovascular Surgery particularly open-heart surgery will be a desirable qualification.</p> <p>(iv) Extensive practical and administrative experience.</p> <p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree in the concerned speciality mentioned in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned speciality after obtaining the first Post-graduate degree.</p>
2.	Specialist Grade-II (Senior Scale) (Super-Specialities) (Rs. 3700-125-4700-150-5006)	Not exceeding 45 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with the instructions issued by the Central Govt.)	<p>Note : In the case of holders of D.M./M. CH, qualifications of 5 years' duration, the period of senior PG residency rendered in the last part of the said D.M./M. C.H. shall be counted towards requirement of 5 years' experience.</p> <p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post-graduate Degree or 7 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma.</p>
3.	Specialist Grade-II (Senior Scale)(Rs. 3700-125-4700-150-5000) (Other than Super-specialities)	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p>
4.	Specialist Grade-II (Rs. 3000-100-3500-125-5000)	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section-B in</p>

1	2	3	4
			Schedule-VI or equivalent.
			(iii) Three years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post-graduate degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate diploma.
			Note : For the post of Physician (Chest and Respiratory Disease) 3 years' experience in Respiratory Disease and Respiratory Laboratories is required.
<b>IV.</b>	<b>Public Health Sub-cadre Posts</b>		
<b>(a)</b>	<b>Supertime Grade</b>		
1.	Supertime Grade (Rs. 5900-200-6700)	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the required areas of Public Health mentioned in Schedule-VI or equivalent.</li> <li>(iii) 16 years' standing in the profession.</li> <li>(iv) Extensive practical and administrative experience.</li> </ul>
<b>(b)</b>	<b>Specialist Grade</b>		
1.	Specialist Grade-I (Rs. 4500-150-5700)	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> <li>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent.</li> <li>(iii) 12 years' standing in the profession out of which 8 years' work should be in a responsible position connected with Public Health.</li> <li>(iv) Extensive practical and administrative experience.</li> </ul>
2.	Specialist Grade-II (Senior Scale Rs. 3700-125-4700-150-5000)	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</li> </ul>

1	2	3	4
3.	Specialist Grade-II (Rs. 3000-100- 3500-150-5000)	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Five years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post-graduate degree or 7 years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate diploma.</p> <p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality of Public Health mentioned in Section-A or Section-B in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) Three years' experience in the concerned speciality after obtaining the Post-graduate degree or 5 years' experience in the Speciality after obtaining the Post-graduate diploma.</p>
<b>V. General Duty Sub-Cadre Posts</b>			
	(a) Supertime Grade		
1.	Supertime Grade (Rs. 5900-200- 6700)	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential:</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate Degree/Diploma mentioned in Schedule-VI or equivalent.</p> <p>(iii) 10 years' standing in the profession.</p> <p>(iv) Extensive practical and administrative experience.</p>
	(b) Medical Officer Grade		
1.	Chief Medical Officer (Rs. 3700-125-4700-150- 5000)	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) At least 10 years' standing in the profession.</p>

OR

1	2	3	4
			Postgraduate degree/diploma mentioned in Schedule-VI or equivalent in the relevant field with 6 years' standing in the profession in the case of Post-graduate degree holder and 8 years' for Post-graduate diploma holders
2.	Senior Medical Officer (Rs. 3000-100-3500-125- 4500)	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt.)	<p>(iii) Extensive practical and administrative experience</p> <p>NOTE : The exact qualifications and the experience required shall be indicated at the time of recruitment.</p> <p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) 5 years' experience after registration as a medical graduate.</p> <p>OR</p> <p>Postgraduate degree/diploma mentioned in Schedule-VI or equivalent in the relevant field with 2 years' experience in the case of Post-graduate degree holder and 4 years' experience in the case of Post-Graduate Diploma Holders.</p> <p>NOTE : The exact qualifications and the experience required shall be indicated at the time of recruitment.</p> <p>Medical Officer (Rs. 2200- 75-2800-EB-100-4000)</p> <p>Not exceeding 30 years</p> <p>Essential :</p> <p>(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Completion of compulsory rotating internship— candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.</p> <p>NOTE 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakhi Division of J &amp; K state, the Lahaul &amp; Spiti District and Pangti sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>

1	2	3	4
			NOTE 2 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
			NOTE 3 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
			NOTE 4 : In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview the crucial date for reckoning the age limit shall be the first of January of the year in which the examination is held.
			NOTE 5 : The Qualifications granted in United Kingdom shall be recognised medical qualifications only when granted on or before 11-11-1978.
<b>SCHEDULE-VI</b>			
List of recognised Post-graduate qualifications for recruitment to Group 'A' posts in the Central Health Service.			
Sl. No.	Subject	Section-A Requisite Post Graduate Degree Qualification	Section-B Requisite Post Graduate Diploma Qualifications
<b>Part (A) Non-Clinical</b>			
1.	Anatomy	M.S. (Anatomy) M.Sc. (Anatomy) M. Sc. (Medical Anatomy) Ph. D (Anatomy) D. Sc. (Anatomy)	
2.	Physiology	M.D. (Physiology) M. Sc. (Physiology) Ph. D. (Physiology) D. Sc. (Physiology)	
3.	Bio-Chemistry	M. D. (Bio-Chemistry) M. Sc. (Medical Bio-Chemistry) Ph. D. (Bio-Chemistry) D. Sc. (Bio-Chemistry)	
4.	Bio-Physics	M. D. (Bio-Physics) M. Sc. (Bio-Physics) M. D. (In Physiology or Bio-Chemistry) with 1 year training in Bio-Physics	
5.	Pharmacology	M.D. (Pharmacology) M.D. (Pharmacology & Therapeutics) M. Sc. (Pharmacology)	

1	2	3
6.	Pathology	D. Sc. (Pharmacology) M. D. (Pathology) M. D. (Pathology & Bacteriology) D.C.P. M. D. (Pathology with Bacteriology) D.P.B. M. Sc. (Pathology) M. Sc. (Medical Pathology) Ph. D. (Pathology) D. Sc. (Pathology) Speciality Board of Pathology (USA)
7.	Bacteriology/Microbiology	M. D. (Bacteriology) M. D. (Microbiology) M. D. (Bact. with Pathology) M. Sc. (Microbiology) M. Sc. (Bacteriology) <b>(B) CLINICAL</b>
1.	General Medicine	M. D. (General) M. D. (General Medicine) M. D. (Med. & Therapeutics) M. R. C. P. Speciality Board of Internal Medicine (USA)
2.	Forensic Medicine	M. D. (Forensic Medicine) M. D. (Pathology) M. D./M. R. C. P. in Medicine with diploma in Forensic Medicine /Diploma in Medical Jurisprudence. Speciality Board of Pathology (USA)
3.	Radiation Medicine	M. D. (Radiation Medicine) M. D. (Radio-Therapy)
4.	Paediatrics	M. D. (Paediatrics)
5.	Clinical Haematology	M. D. in Medicine/Pathology with three years' experience in Haematology
6.	Tuberculosis	M. D. (Tuberculosis) M. D./M. R. C. P. in Medicine with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D.
7.	Psychiatry	M. D. (Psychiatry) M. D. (Psychological Medicine) Speciality Board of Psychiatry & Neurology (USA) D. P. M. of 2 years course. Diploma in Psychiatry (Edin) of two years course. Diploma in Psychiatry (Mc. Gill) University, Montreal, Canada of two years' course.
8.	Venereology	M.D. (Venereology) M. D. (Dermatology and Venereology)
9.	Dermatology	M. D. (Dermatology) M. D. (Dermatology & Venereology) Speciality Board of Dermatology (USA)
10.	Dermatology & Venereology	M. D. (Dermatology and Venereology) Speciality Board of Dermatology (USA)
11.	General Surgery	M. S. (Surgery) M.S. (General Surgery) Speciality Board of Surgery (USA) FRCS
12.	Orthopaedics	M. S. (Ortho.) M. Ch. (Ortho.) Speciality Board of Ortho.

1	2	3
13.	Physical Medicine and Rehabilitation	Surgery (USA) M.D. in Physical Medicine and Rehabilitation/ Diploma in Physical Medicine and Rehabilitation given by National Board of Examination/Two years' diploma course in Physical Medicine and Rehabilitation after M.D. (Medicine)/M.S. (Surgery)/M.D. (Paediatrics)/M.S. (Orthopaedics) or any other equivalent qualification.
	<b>Desirable Qualification :</b>	2 years' experience in Physical Medicine and Rehabilitation after the Post-graduate degree/ diploma.
14.	Ophthalmology	M.S. (Ophthalmology) D.O. M.D. (Ophthalmology) D.O.M.S. Speciality Board of Ophthalmology (USA)
15.	Oto-Rhino-Laryngology (ENT)	M.S. (Oto-Rhino-Laryngology) D.I.Q. Speciality Board of Laryngology (USA) D.O.R.L.
16.	Obstetrics and Gynaecology	M.D. (Obstetrics & Gynae.) D.G.O. M.S. (Obstetrics & Gynae.) M.D. (Mid & Gynae.) M.S. (Mid & Gynae.) M.O. M.R.C.O.G. Speciality Board of Obstetrics & Gynaecology (USA)
17.	Maternity and Child Health	D.C.H./D.M.C.W. with D.M.C.W. M.D. (Obst. & Gynae.) M.S. (Obst. & Gynae.) M.D. (Mid. & Gynaecology) M.S. (Mid. & Gynaecology) M.D. (Obstetrics) M.D. M.R.C.O.G. M.D. (SPM), M.D. (Community Medicine) M.N.A.M.S. (Integrated MCH) Speciality Board of Obst. & Gynaecology (USA)
18.	Radio-diagnosis	M.D. (Radio-diagnosis) D.M.R.D. D.M.R.D. or equivalent diploma of two years duration
19.	Radio-Therapy	M.D. (Radio-Therapy) D.M.R.T. D.M.R.T. or equivalent diploma of two years duration.
	For 18 and 19	NOTE : The persons who have done their M.D. in Radiology or Diploma in Radiology before 1985 will also be eligible to apply to the post of Radio-diagnosis and Radio-Therapy.
20.	Anaesthesiology	M.D. (Anaesthesiology) D.A. M.D. (Anaesthesiology) D.A. (Two years course) FFARCS (by examination) Speciality Board of Anaesthesiology (USA)

1	2	3
21.	Chest/Respiratory Diseases	M.D. Respiratory Diseases and T.B.O. or Diploma National Board (Respiratory Diseases) M.D. (Medicine) with Diploma National Board (Respiratory Diseases)
22.	Nuclear Medicine	M.N.A.M.S. (Nuclear Medicine)* D.N.B. (Nuclear Medicine) *Recognised only when granted on or after 30-8-92.
		<b>(C) SUPER SPECIALITIES</b>
1.	Gastroenterology	D.M. (Gastroenterology)
2.	Neurology	D.M. (Neurology) or Speciality Board of Psychiatry and Neurology (USA)
3.	Endocrinology	D.M. (Endocrinology)
4.	Cardiology	D.M. (Cardiology)
5.	Nephrology	D.M. (Nephrology)
6.	Plastic Surgery	M.Ch. (Plastic Surgery) or Speciality Board of Plastic surgery (USA)
7.	Thoracic Surgery	M.Ch. (Thoracic Surgery) or Speciality Board of Thoracic Surgery (USA)
8.	Neuro-Surgery	M.Ch. (Neuro-Surgery) or Speciality Board of Neurological Surgery (USA)
9.	Paediatric Surgery	M.Ch. (Paediatric Surgery)
10.	Urology	M.Ch. (Urology) or Speciality Board of Urology (USA)
11.	Cardio-Thoracic	M.Ch. (Cardio-Thoracic Surgery)/M.Ch. (Thoracic Surgery) or Speciality Board of Thoracic Surgery (USA)
12.	Gastro-Intestinal Surgery	M.Ch. (Gastro-Intestinal Surgery) M.S. (General Surgery) with two years special training in a department of G.I. Surgery.
13.	Cancer Surgery	M.Ch. (Cancer Surgery/Surgical Oncology)
		<b>(D) PUBLIC HEALTH</b>
1.	Social and Preventive Medicine/Community Medicine	M.D. (Social and Preventive Medicine), M.D. (Community Medicine). Speciality Board of Social & Preventive Medicine (USA)
2.	Public Health	M.D. (Social and Preventive Medicine), M.D. (Community Medicine), Dr. P.H. or any other equivalent degree recognised by Medical Council of India. Desirable : (Only for 2 Public Health) DPH/DMCW/DIH/DHE.
		Note :—1. M.R.C.P./F.R.C.P., F.R.C.S. refers to Diploma or Membership and Fellowship awarded by all the Royal College of U.K. and Fellowship of Royal College of U.K. and Fellowship of Royal College of Canada.

1	2	3
		Note :—2. Holders of Speciality Board of USA qualifications should complete the entire requirements of the Board concerned.
		Note :—3. In so far as Post-graduate Medical qualification awarded by Indian Universities are concerned, they should also find a place in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956, as amended from time to time.
		Note :—4. Member Academy of Medical Science M.A.M.S.
	(i)	Note : This qualification shall be a recognised medical qualifications as aforesaid only when granted on or after the 1st April, 1976 on the basis of the results of examination conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an Honorary Degree.
		M.A.M.S. (Physiology)
		M.A.M.S. (General Surgery)
		M.A.M.S. (General Medicine)
		M.A.M.S. (Obst. & Gynaecology)
		M.A.M.S. (Ophth.)
		M.A.M.S. (Anaes.)
		M.A.M.S. (Social & Preventive Medicine)
		M.A.M.S. (Psychiatry)
		Membership of the National Academy of Medical Sciences.
		M.N.A.M.S. (Physiology)
		M.N.A.M.S. (General Medicine)
		M.N.A.M.S. (General Surgery)
		M.N.A.M.S. (Obst. & Gynae.)
		M.N.A.M.S. (Soc. & Prev. Medicine)
		M.N.A.M.S. (Psychiatry)
		M.N.A.M.S. (Ophthalmology)
		M.N.A.M.S. (Radio-Diagnosis)
		M.N.A.M.S. (Radio-Therapy)
		M.N.A.M.S. (Health Administration)
		Note :—M.N.A.M.S. qualification granted after passing Part-II Examination may be considered as requisite Post-graduate qualifications for the purposes of appointment of teachers in medical colleges/teaching institutions, provided that a holder of the M.N.A.M.S. qualification without an M.D. or M.S. Degree of an Indian University, shall undergo one year's research experience in an institution recognised by the Council and duly accepted by the Medical Council of India after necessary evaluation.
		Note 4 (ii) : In terms of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Notification No. V. 11015/12/78-ME (Policy), dated the 29-8-1978, the qualifications granted in United Kingdom shall be recognised medical qualifications only when granted on or before 11th November, 1978.
		Note 5 Holders of equivalent Post-graduate qualifications as are approved by the Medical Council of India from time to time will be considered to have requisite Post-Graduate qualification in the subject concerned.

Note : 6 In the case of qualifications in Super specialties (M.Ch/D.M.), except in case of holders D.M./M. Ch. of five years' duration, the holder should have obtained M.D. (General Medicine) or M. S. (General Surgery) or an equivalent qualification as prescribed by the said Council in its recommendations on Post Graduate Medical Examination.

2. After 1998, for teaching appointments in super Speciality of Gastro-Intestinal surgery, the candidates must possess Post-Graduate degree qualification in the Speciality concerned, that is D.M./M. Ch. after M.D./M.S. or other qualifications as may be approved by the Council from time to time. The existing alternative qualification that is M.S. or an equivalent qualification with two years special training in a recognised training centre in the speciality concerned, shall cease to be sufficient qualification for appointment to aforesaid teaching posts from that date.

Note : 7 This list is not exhaustive. The Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission shall have the power to assign other qualifications to Part-A, B, C or D.

[No. A. 12018/1/90-CHS.V (Vol. II)  
R. C. SHARMA, Under Secy.

